दशम माला,

29 February 1992

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

दसम माला, खण्ड-8, तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

अंक 6, शनिवार, 29 फरवरी, 1992/10 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
सरकार द्वारा विश्व बैंक को 1992-93 के बजट प्रस्तावों को लीक किए जाने सम्बन्धी आरोप	1—5
सभा पटल पर रखे गए पत्र	6
सामान्य बजट—1992-93—पुरःस्थापित श्री मनमोहन सिंह	6—34
वित्त विधेयक, 1992—प्रस्तुत श्री मनमोहन सिंह	35

लोक-सभा

शनिवार, 29 फरवरी, 1992/10 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 5.00 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सरकार द्वारा विश्व बैंक को 1992-93 के बजट प्रस्तावों को लीक किए जाने सम्बन्धी आरोप

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने वित्त मन्त्री द्वारा रखे गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है और इनसे यह स्पष्ट है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी कराने पर सहमत हो गई है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि :

"वृहत्-आर्थिक कार्य निष्पादन की निगरानी विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ गहन समन्वय के साथ होगी। बैंक/एसोसिएशन जनवरी, 1992 के अन्त से पूर्व एक मध्यावधि परामर्श के माध्यम से सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी भी करेगा। एस० ए० एल०/एस० ए० सी० कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयों में और अधिक समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के अलावा यह समीक्षा एक मंच उपलब्ध करायेगी जहां पर सरकार द्वारा स्थापित अनेक उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिशों पर अधिकारियों से और 1992-93 के बजट में उनका यथोचित समावेश करने पर चर्चा होगी।"

सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के निरीक्षण में यह समझौता और 1992-93 के बजट प्रावधान भी किए हैं। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और आप इस पर न्याय करें। मैं यही चाहता हूं। संसद की प्रभुसत्ता का उल्लंघन हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधीन हो गई है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने कल राष्ट्रीय मोर्चा और वामपंथी दलों की तरफ से बजट तैयार करने और इसे पेश करने सम्बन्धी अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर आपको एक पत्र भेजा है। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि धैर्य के साथ थोड़ी देर सुनें। (व्यवधान) हमने इस पत्र में विश्व बैंक की 12 नवम्बर, 1991 की रिपोर्ट के एक उपबन्ध को उद्धृत किया था कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी तरफ से अनेक प्रयत्नों के

बाद हमें ये दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। सरकार ने कभी भी स्वयं इन दस्तावेजों की जानकारी नहीं दी। दूसरी ओर वित्त मन्त्री ने अत्यन्त दुर्भाग्यवश समाचार-पत्रों पर ही आरोप लगाए। महोदय, अब इस दस्तावेज में जो खण्ड हमने उद्धृत किया था—विश्व बैंक की रिपोर्ट के पृष्ठ 31 पर पैरा 97 में कहा गया है :

"विशेष रूप से वृहत् आर्थिक कार्य-निष्पादन की निगरानी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गहन समन्वय के तहत होगी···"

यह हमारी अर्थव्यवस्था वृहत् आर्थिक कार्य-निष्पादन से सम्बन्धित है। मैं पुनः उद्धृत करता हूं :

"···बैंक/एसोसिएशन···" अर्थात विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन जनवरी 1992 के अन्त पूर्व एक मध्यावधि परामर्श के माध्यम से सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी भी करेंगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसमें क्या है ? महोदय, अब क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : मैं समझता हूं आप पहले ही इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हर व्यक्ति आपके वित्त मन्त्री की सहायता कर रहा है ताकि वह उत्तर दे सकें। अगर आप में धैर्य नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं ? आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? क्या यह बेकार का मामला है ? क्या हम किसी बेकार के मामले पर बोल रहे हैं ? (व्यवधान) इन दस्तावेजों को जानबूझ कर संसद से छिपाया गया। इसलिए विश्व बैंक ने एक शर्त लगाई है कि जनवरी, 1992 के समाप्त होने से पूर्व एक समीक्षा, मध्यावधि समीक्षा, मध्यावधि परामर्श करना होगा।

मैं आगे उद्धृत करता हूं :

"विभिन्न मन्त्रालयों के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के अलावा···" भारत सरकार के मन्त्रालय न कि अमेरिका के··· "···जिनसें एस० ए० एल०/एस० ए० सी० कार्यक्रम सम्बन्धित हैं, उनके सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए यह समीक्षा एक मंच उपलब्ध करायेगी···" भारत सरकार के अधिकारी··· "··· सरकार द्वारा स्थापित अनेक उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिशें और 1992/93 बजट में उनका यथोचित समावेश···"

इसलिए मध्यावधि स्थिति, समीक्षा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में चर्चा हुई है और इस समीक्षा समिति में भारत सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस प्रकार उन्हें यह पता है। उन्होंने यह निर्णय लिया है कि 1992-93 के बजट में जो कुछ लागू करना है उसके लिए वे कहेंगे। इसे जानबूझ कर हमसे छिपाया गया। माननीय वित्त मन्त्री ने यह तर्क दिया है कि उन्हें 12 नवम्बर, 1991 का पत्र नहीं मिला। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि इस बारे में समझौता हुआ है और विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया है, जिसे उन्हें अन्ततः प्रकट करने के लिए बाध्य होना पड़ा और जिसमें यह अत्यन्त गम्भीर जानकारी दी गई है। हम इससे चिन्तित हैं। इसीलिए हमने आपको लिखा। हम माननीय वित्त मन्त्री से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि क्या वित्त मन्त्री ने इसे बजट में सम्मिलित किया है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बहुत हो चुका है। वह बजट पेश करने से पूर्व इसे कैसे प्रकट कर सकते हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक मिनट लूंगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर की महत्ता को समझें। हम बजट को सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि इस देश के सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं एक या दो सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर सदस्य खड़े होते हैं, व्यवधान डालते हैं और बोलते हैं तो आप वित्त मन्त्री या संसद या मेरा भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप कृपया एक या दो सदस्यों की बात सुनें जो एक या दो मिनट में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तब मैं वित्त मन्त्री को बजट पेश करने के लिए अनुरोध करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आधा मिनट लूंगा। इसी कारण से हमने आपको अनुरोध किया है कि सदस्यों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े अथवा उनके अधिकार न छीने जायें। इसलिए हमने अनुरोध किया है कि अगर जैसा वे कहते हैं कि यह बजट का भाग नहीं है तो उसे सभा के सदस्यों को उपलब्ध करायें। हम जानना चाहते हैं कि समीक्षा समिति की उन मध्यवधि सिफारिशों में क्या निहित है। इसलिए हमने यह अनुरोध···

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका अनुरोध प्राप्त हो गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने आपसे सादर अनुरोध किया था कि आप यह सुनिश्चित करें कि सदस्यों के अधिकार पूर्णतया सुरक्षित रहें और जैसा उक्त उद्धृत उपबन्धों में उल्लेख है उन सम्बन्धित दस्तावेजों में निहित जानकारी के बारे में उन्हें बताया जाए। इस पक्ष के सभी नेताओं ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं।

जब आपने मुझे अनुमति दी है तब यदि सत्ता पक्ष यह समझता है कि उनकी मौजूदा अल्पमत सत्ताधारी पार्टी द्वारा इस प्रकार विपक्ष की आवाज को दबाया जा सकता है, सभी तरह के दावपेंच के बावजूद वे अभी भी अल्पमत में हैं तब ऐसे में हम पीड़ित होने और दबने के लिए यहां पर निष्क्रिय नहीं बैठेंगे। हम इस संसद की मर्यादा के अनुसार सब कदम उठायेंगे जैसाकि हम करते रहे हैं इसे समाप्त नहीं करेंगे जैसाकि वे कर रहे हैं। इसलिए हम इस मुद्दे पर वित्त मन्त्री महोदय से स्पष्ट और सन्तोषजनक उत्तर चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आडवाणी जी को अनुमति दे रहा हूं और उसके बाद वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, जब से दैनिक समाचारपत्र 'इण्डियन एक्सप्रेस' में यह खबर छपी है कि वित्त मन्त्री ने नवम्बर में विश्व बैंक को एक पत्र लिखकर बजट की गोपनीयता का उल्लंघन किया है, इस सभा में इस मामले पर शोर होता रहा है। हम में से अनेक ने यह सन्देह व्यक्त किया कि अगर इस सभा की एक स्थापित परम्परा का उल्लंघन हुआ है या इसे तोड़ा

गया है तो हमें इसे गम्भीरता से लेना चाहिये। सामान्यत: मैं इस अवसर की महत्ता को देखते हुए आज इस मुद्दे को उठाना पसन्द नहीं करता। लेकिन आपने कुछ सदस्यों को कुछ मुद्दे उठाने की अनुमति दी है इसलिए मैं वित्त मन्त्री द्वारा अपना बजट पेश करने से पहले उसी मुद्दे पर जोर देना चाहूंगा जिसे कल मेरे साथी ने कहा था कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में दो मत हो सकते हैं—या तो यह देश सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जायें अथवा स्वयं ही जुटायें। इस मुद्दे पर अन्य अवसरों पर बजट चर्चा के दौरान विस्तार से वाद-विवाद किया जा सकता है। एक बार हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक के पास जाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो यह स्वाभाविक है कि वे शर्तें लगायेंगे और हमें उनका उत्तर देना होगा। जैसाकि मैंने कहा···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों सहित यह कहता हूं कि इस सम्बन्ध में अत्यधिक अनुचित कार्य हुआ है। यह तकनीकी रूप से बजट की गोपनीयता का उल्लंघन है या नहीं इस बारे में तो आपको विशेषाधिकार प्रस्ताव के आधार पर जांचना और निर्णय देना है। लेकिन अत्यधिक अनुचित कार्य हुआ है क्योंकि इन पत्रों को भेजते समय हम इस नीति पर चर्चा कर सकते थे, हम शर्तों के सम्बन्ध में अपना उत्तर बता सकते थे, लेकिन जब हम यह कहते हैं कि हम 1992-93 के आगामी बजट में यह करना चाहते हैं तो मैं तथा मेरे साथी समझते हैं कि यह अनुचित कार्य हुआ है। अच्छा होता यदि हम··· (व्यवधान) मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करता हूं कि जहां तक नीतियों का सम्बन्ध है जैसाकि श्री इन्द्रजीत ने कल कहा, वे आमतौर पर बजट का भाग 'क' होती हैं। अभी तक भाग 'क' और भाग 'ख' दोनों को गोपनीय माना गया है। लेकिन एक विशेष रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दी गई है, यह चेल्लैया समिति रिपोर्ट है जो कराधान से सम्बन्धित है। यह कराधान किसी भी बजट का एक महत्वपूर्ण और अहम् भाग होता है। अगर विश्व बैंक के साथ इस चेल्लैया समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई हैं तो मुझे डर है कि वित्त मन्त्री ने बहुत ही भारी गलती की है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं निश्चितता महसूस करूंगा। इसलिए मेरा सरल सा प्रश्न है कि क्या कराधान सुधारों सम्बन्धी चेल्लैया समिति की रिपोर्ट पर भी विश्व बैंक से चर्चा हुई हैं या नहीं। (व्यवधान)

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो समितियां नियुक्त की थी।

(व्यवधान)

नरसिमहन समिति की रिपोर्ट को दिसम्बर में सभा पटल पर रखा गया था।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हमने आपको एक पत्र लिखा है··· (व्यवधान)···आप पहले सुन लें। यह एग्रीमेंट 5 दिसम्बर को हुआ है···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपके लीडर बोल चुके हैं। आपको नहीं बोलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : देश को गिरवी रखने का किसी सरकार को अधिकार नहीं है। यह सरकार देश को गिरवी रखना चाहती है···(व्यवधान)···आप पहले सुन लीजिये···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैं भी यह नहीं मानूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह मानना होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है । मैंने आपके नेता को बोलने की अनुमति दी थी···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा पर इस प्रकार सदस्यों द्वारा दबाव डालना पसन्द नहीं करता । मैंने नेताओं को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी थी । बजट पेश करने से पहले सदस्यों को बोलने की अनुमति देना असाधारण है । फिर भी इस पत्र को देखते हुए नेताओं का सम्मान करते हुए मैंने बोलने की अनुमति दी । मैं यह मानता हूं कि अपनी पार्टी के उपनेता श्री पासवान यह ध्यान में रखें कि उनके नेता बोल चुके हैं और उन्हें संसद, वित्त मन्त्री और देश के साथ सहयोग करना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप अन्य पार्टियों के कुछ नेताओं को भी अनुमति दें ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बजट लीक नहीं हुआ है । मैं यह पुनः कहता हूं । मैं जोर देकर कहता हूं कि मैंने किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य नहीं किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से ताली न बजाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि हम सुनना चाहेंगे कि वित्त मन्त्री महोदय क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मैं इसका उत्तर दे रहा हूं । (व्यवधान)

विपक्ष के माननीय नेता ने चेल्लैया समिति की रिपोर्ट पर एक विशेष प्रश्न पूछा है । मैं इस सभा को आश्वस्त करता हूं कि यह अत्यन्त गोपनीय दस्तावेज है वित्त मन्त्रालय से बाहर किसी को भी इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है । हमने बाहर किसी से भी, न तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और न ही विश्व बैंक को इस रिपोर्ट के बारे में बताया है । इसलिए बजट के लीक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

मैं इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना चाहता था । मैं इस बारे में पहले ही नोटिस दे चुका था । आप सहमत थे कि मैं इस रिपोर्ट को 3 मार्च को सभा पटल पर रख सकता हूं । अगर आप आज अनुमति दें तो मैं अभी सभा पटल पर इस रिपोर्ट को रखने के लिए तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति है ।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

5.19 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वेल्लैया समिति का प्रतिवेदन

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : आपकी अनुमति से इस प्रतिवेदन का सारांश अभी सभा पटल पर रखा जा रहा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1397/92]

जहां तक मुख्य प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, इसकी दो प्रतियां सभा के ग्रन्थालय में रखी जा रही हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1398/92]

मैं पुनः जोर देकर यह कहता हूं और इस पुनीत सभा को आश्वस्त करता हूं कि बजट की कोई भी गोपनीयता भंग नहीं हुई है। मैं इसका पूर्ण दायित्व लेता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री महोदय बजट पेश करें।

5.20 म० प०

सामान्य बजट—1992-93

भाग 'क'

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं वर्ष 1992-93 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

2. यह राजकोषीय वर्ष जो अब समाप्त होने वाला है, हर दृष्टि से यह कठिन वर्ष रहा है। यह वर्ष एक संकटपूर्ण और संकट की व्यवस्था करने का वर्ष रहा है। यह एक महान आर्थिक चुनौतियों और साहसिक नये कदम उठाने का वर्ष भी रहा है।

3. मानीय सदस्यों को स्मरण होगा कि आठ महीने पहले जब नई सरकार ने कार्यभार संभाला था, हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी जो ढहने के कगार पर थी। मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही थी। भुगतान सन्तुलन की स्थिति अत्यन्त गम्भीर थी। विदेशी मुद्रा का प्रारक्षित भण्डार मुश्किल से दो सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त था। विदेशी वाणिज्यिक बैंकों ने भारत को उधार देना बन्द कर दिया था। भारतीय मूल के अनिवासी भारतीय अपनी जमाओं को वापस ले रहे थे। विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण बड़े पैमाने पर आयात सीमित हो गये थे, जिनकी वजह से पिछले वर्षों की तीव्र औद्योगिक प्रगति रुक गई थी और मई, 1991 के बाद से उनमें नकारात्मक वृद्धि दर पैदा हो गई थी।

4. ऐसी विकट परम्परा हमें विरासत में मिली थी।

5. हमारी पहली और तात्कालिक चुनौती, इस गिरावट को रोकने और भारत की विश्वसनीयता, देश और विदेश दोनों ही स्थानों पर, फिर से कायम करने की थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के

लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय अदायगियों में चूक से बचने के लिए तत्काल उपाय करने थे तथा अल्पावधि में अर्थव्यवस्था में बृहत्-आर्थिक सन्तुलन कायम करने के लिए भी कदम उठाने थे, ताकि मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा सके और भुगतान सन्तुलन के घाटे को प्रबन्धकीय स्तर तक कम किया जा सके। हमारा मध्यावधिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था को एक उच्च और स्थिर विकास के मार्ग पर फिर से वापस लाना था।

6. इन उद्देश्यों के अनुसरण में नई सरकार ने बहुत से उपाय किये। हमने विदेशी भुगतानों में चूक से बचने के लिए, जो अत्यन्त विनाशकारी होता, तात्कालिक उपाय किये। पिछली सरकार ने विदेश में अस्थायी रूप से नकदी जुटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित सोने के एक भाग का उपयोग करने का पहले ही निर्णय ले लिया था। हमने इस निर्णय को उलटना उचित नहीं समझा, किन्तु हमने सोने को शीघ्र से शीघ्र वापस लेने का वायदा किया और हमने अपना वायदा पूरा भी किया। हमने राजकोषीय घाटे को, जो पिछले वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया था, कम करने के प्रयास द्वारा बृहत्-आर्थिक सन्तुलन फिर से कायम करने की प्रक्रिया शुरू की। हमने संरचनात्मक सुधार करने का, जिसमें भारतीय उद्योग की कार्य-कुशलता, उत्पादकता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के उद्देश्य से व्यापार नीति और औद्योगिक नीति में नये उपाय अपनाना सम्मिलित था, एक मध्यावधिक कार्यक्रम भी शुरू किया। हमारा दीर्घावधिक उद्देश्य उत्पादन की एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जो श्रम प्रधान हो और जिससे उत्पादक उच्च आय उपार्जन में अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा हों तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच आय और सम्पत्ति के बीच असमानताओं में कमी आये।

7. संकटपूर्ण वर्ष में उत्पादन में हानि होनी ही थी और वर्ष 1991-92 में यही हुआ। खरीफ मौसम में कृषि उत्पादन लक्ष्य से कम रहा किन्तु रबी की फसल की संभावनाएं अच्छी हैं। गम्भीर आयात संकुचन और कठिन ऋण स्थितियों के कारण औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तथापि, आधारभूत क्षेत्रों में, जो भावी औद्योगिक प्रगति का मूल आधार है, काफी अच्छी प्रगति हुई है। मैं आशा करता हूं कि 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद में कुल लगभग 2.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। मुझे 1992-93 में और भी विशिष्ट सुधार होने की तथा 1993-94 में ऊंची वृद्धि दर फिर से प्राप्त कर लेने की उम्मीद है। तथापि, यह पुनरुत्थान केवल तभी हो सकता है, यदि हम इस वर्ष शुरू किए गए स्थिरीकरण और संरचनात्मक आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को बिना किसी हिचकिचाहट के जारी रखें।

8. स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के उपाय कभी की कठिनाई रहित अथवा तुरत नहीं होते हैं, विशेष रूप से जबकि हम ऐसे असन्तुलनों और संरचनात्मक दृढ़ताओं से निपट रहे हों, जो अनेक वर्षों के दौरान बने हों। कम से कम तीन वर्ष तक कठिन प्रयास करना पड़ेगा ताकि अर्थव्यवस्था एक तीव्र और स्थिर प्रगति के मार्ग पर फिर से वापस आ सके। मितव्ययता के प्रति दृढ़ वचनबद्धता, श्रेष्ठता को बनाए रखना और आम लोगों के लाभ के लिए कार्यकुशलता तथा उत्पादकता को प्रोत्साहित करना, इस प्रयास का अभिन्न अंग होंगे। अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए हमारे लोग निर्जीव उपभोक्तावाद और पश्चिम के समृद्ध देशों की व्यर्थपूर्ण जीवनशैली की नकल नहीं कर सकते। आडम्बरपूर्ण उपभोग को कारगर ढंग से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। किफायत के गुणों पर बल दिया जाना चाहिए। सम्पदा के मालिकों को, जैसाकि गांधी जी कहा करते थे, अपने आप को समाज के एक ट्रस्टी के रूप में समझना चाहिए। हम संरचनात्मक सुधार और समायोजन को स्थगित नहीं कर सकते, किन्तु हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समायोजन का बोझ हमारे समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों पर अधिकतम सम्भव सीमा तक कम से कम पड़े। हम कठिन और असमतल तराई के रास्ते से गुजर रहे हैं,

जहां कोई भी कार्य जोखिम रहित नहीं है और सफलता सदा ही तुरत मिलने वाली नहीं है। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए हमें धैर्य, सतत् प्रयत्न और राष्ट्रीय सामन्जस्य की जरूरत है।

9. कुछ लोगों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि सुधार कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के इशारे पर तैयार किया गया है। हम दोनों संस्थाओं के संस्थापक सदस्य हैं और अपने कार्यक्रमों के समर्थन में सहायता आवश्यक होने पर हमें उनसे उधार लेने का अधिकार है। उधारकर्ता के रूप में उन्हें ऋणों की वापसी-अदायगी की हमारी क्षमता के बारे में अपने आप को आश्वस्त होना है और इसी वजह से शर्त की बात बीच में आती है। उधार लेने वाले सभी देश उन कार्यक्रमों की सक्षमता के सम्बन्ध में, जिनके लिए सहायता की मांग की जाती है, इन संस्थाओं के साथ चर्चाएं आयोजित करते हैं। हमने भी ऐसी ही चर्चाएं की हैं। स्वभावतः शर्तों की सीमा मांगी गई सहायता की राशि और किस्म पर निर्भर करती है। तथापि, मैं यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि हमने जो शर्तें मंजूर की हैं, वे उन सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से अधिक कुछ नहीं दर्शाती, जिनका उल्लेख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को भेजे गये मेरे आशय पत्रों में किया गया है और वे पूर्णतः हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हैं। सुधार कार्यक्रम का अधिकांश भाग हमारी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र पर आधारित है। प्रभुसत्ता की तो बात दूर है, सरकार के लिए अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कोई समझौता करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

10. यद्यपि, हमारी नीतियों के पूरे परिणाम प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा, तथापि, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि हमने आठ महीने की इस थोड़ी सी अवधि में भी काफी प्रगति की है। हमने भारत की विश्वसनीयता को फिर से कायम करने और अर्थव्यवस्था को वित्तीय संकट में फंसने से बचाने के लिए अपना सबसे तात्कालिक उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। हमारे विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डार फिर से लगभग 11,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं। अनिवासी भारतीय अब अपनी जमा-राशियों को वापस नहीं ले रहे हैं। हमने, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के साथ, वर्तमान वर्ष में भुगतान सन्तुलन के समर्थन हेतु तुरत संवितरण निधियां प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक प्रबन्ध सम्पन्न किए हैं।

11. मुद्रास्फीति एक गम्भीर और ऐसी समस्या बनी हुई है, जिसे हम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति से निर्धन व निश्चित आय वाले लोगों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जून, 1991 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई, मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही थी और अगस्त, 1991 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 16.7 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई थी। उसके बाद मुद्रास्फीति की दर घटकर लगभग 12 प्रतिशत तक आ गई है, किन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब भी यह काफी अधिक है। हम मुद्रास्फीति को नियन्त्रण में लाने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ हैं। यही कारण है कि 1991-92 के बजट में राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। मुझे विश्वास है कि हम 1992-93 में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखेंगे और यदि हमें कीमतों को नियन्त्रण में लाना है तो इसका पालन करते ही रहना चाहिए तभी मुद्रास्फीति दर आने वाले राजकोषीय वर्ष में काफी कम हो सकेगी।

12. विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डारों में सुधार होने से मुद्रास्फीति के साथ संघर्ष करने की हमारी क्षमता काफी बढ़ी है। इसी वजह से हम आयातों पर प्रतिबन्धों को शिथिल करने में समर्थ हुए हैं, जो पिछले वर्ष लगाए गए थे और इस प्रकार आगामी महीनों में आवश्यक आयातों की लगभग सामान्य उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। इससे उत्पादन में मदद मिलेगी और स्फीतिकारी दबावों में कमी आएगी।

सन्तोषजनक भण्डारों की स्थिति से सरकार को, कमियों से निपटने और स्फीतिकारी दबावों पर काबू पाने के लिए अनिवार्य मदों के अतिरिक्त आयात के वित्तपोषण के लिए और अधिक लचीला रुख अपनाने में मदद मिली है।

13. सरकार कीमतों के सम्बन्ध में पूर्ण सतर्क और जागरूक रहेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग, मुद्रास्फीति का सामना करने और विशेष रूप से जनसंख्या के निर्धन वर्गों को ऊंची कीमतों और अभाव से संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। प्रधानमन्त्री ने इस वर्ष पहली जनवरी को देश के लगभग 1700 सर्वाधिक पिछड़े ब्लाकों में नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ हैं कि खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुएं निर्धनों और कम सुविधा प्राप्त लोगों तक पर्याप्त मात्रा में और वहनीय कीमतों पर पहुंचे।

14. मुद्रास्फीति के बाद अल्पावधि में हमारी प्रमुख समस्या भुगतान सन्तुलन के प्रबन्ध की है। हमने गिरावट को रोक लिया है और कुछ लचीलापन प्राप्त कर लिया है, किन्तु अपनी विदेशी अदायगी सम्बन्धी स्थिति में सतत रूप से सुधार करने के लिए हमें और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ व्यापार में आए व्यवधान के कारण मुख्य रूप में और विश्व बाजारों में मन्दी की स्थितियों के कारण भी इस वर्ष हमारी निर्यात आय बुरी तरह प्रभावित हुई है। परिणामतः हम अपनी सामान्य आयात आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने में समर्थ नहीं हो सके हैं।

15. कुछ व्यक्ति यह दलील देते हैं कि भुगतान सन्तुलन की समस्या के समाधान के लिए हमें केवल इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने आयातों को कम कर दें। मैं बताना चाहूंगा कि आयातों का पहले ही अत्यन्त संकुचन किया जा चुका है और इनका और अधिक संकुचन करने से विकास और रोजगार दोनों पर ही गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। अनावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का आयात अवश्य ही हतोत्साहित किया जाता रहना चाहिए। तथापि, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी भुगतान सन्तुलन की समस्या का मात्र स्थायी समाधान आज के विश्व में आयात के संकुचन में नहीं है बल्कि निर्यात को तेजी से बढ़ाने में है। एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन तथा अन्य औद्योगिक निविष्टियों की तथा साथ ही अति आधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश वाली पूंजीगत वस्तुओं के अधिकाधिक मात्रा में आयात करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के महत्व को नकारना नहीं है, बल्कि एकीकृत विश्वव्यापी बाजारों की आज की दुनिया में आत्मनिर्भरता को मात्र आयात-निर्भरता को कम करके और अर्थव्यवस्था को विश्व से अलग रखकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस मार्ग पर चलने के लिए केवल और अधिक आयात नियन्त्रणों को अपनाना होगा और ऐसा करने से अकार्यकुशलता तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके फलस्वरूप एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जिसमें भारतीय उद्यमियों को वह लचीला रुख प्राप्त नहीं हो सकेगा, जिसकी उन्हें विश्व बाजारों में अन्य विकासशील देशों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए आवश्यकता है। निर्यात करने की परिणामी अयोग्यता से वस्तुतः हम बाहरी विश्व पर कम निर्भर होने की बजाय अधिक निर्भर हो जायेंगे। आत्मनिर्भरता वाली अर्थव्यवस्था की हमारी कल्पना, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की होनी चाहिए जो विदेशी सहायता जैसे बाह्य कृत्रिम साधनों पर अनुचित निर्भरता के बिना निर्यात के माध्यम से अपनी सभी आयात आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस महान सदन को मेरा सुझाव है कि यह वस्तुतः आत्मनिर्भरता की वही कल्पना है जो हमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तराधिकार में मिली है और जैसा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बताया गया था, जिसे आज के विश्व में वास्तविकताओं में बदला गया है।

16. पिछले वर्ष नई व्यापार नीति लागू करते समय सरकार ने यह उल्लेख किया था कि

हमारा यह ध्येय रहेगा कि हम चालू खाते पर रुपये की परिवर्तनीयता की दिशा में आगे बढ़ें। परिवर्तनीयता की उपलब्धि आर्थिक मजबूती का एक चिन्ह है और सच्ची आत्मनिर्भरता के लिए एक आन्दोलन है। आंशिक परिवर्तनीयता की एक नई प्रणाली लागू करके हम अब इस दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार हैं। नई प्रणाली का उद्देश्य हमारे निर्यात को एक जोरदार संबल प्रदान करना तथा एक सक्षम आयात प्रतिस्थापन प्रदान करना है। इससे नौकरशाही नियन्त्रणों की गुंजाइश में और कमी आयेगी, जिससे अकार्यकुशलता और भ्रष्टाचार दोनों को बढ़ावा मिलता है। इससे विदेशी मुद्रा में गैर-कानूनी कारोबार के लिए प्रोत्साहन में भी बहुत कमी आएगी। नई प्रणाली के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की सभी प्रेषणाओं को, चाहे वे वस्तुओं अथवा सेवाओं के निर्यात के जरिए अथवा अन्य प्रेषणाओं के जरिए अर्जित हों, निम्नलिखित ढंग से रुपये में बदला जायेगा : प्रेषित विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग सरकारी विनियम दर पर बदला जाएगा तथा शेष 60 प्रतिशत बाजार निर्धारित दर पर बदला जाएगा। सरकारी विनिमय दर पर समर्पित विदेशी मुद्रा अनिवार्य आयातों, जैसे कि पेट्रोलियम और तेल उत्पादों, उर्वरकों, रक्षा और जीवन रक्षक औषधियों की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा। कच्चे माल, कलपुर्जों और साथ ही पूंजीगत वस्तुओं के सभी अन्य आयात को खुले सामान्य लाइसेंस पर मुक्त रूप से आयात-योग्य बना दिया जाएगा, किन्तु इन आयातों के लिए विदेशी मुद्रा बाजार से प्राप्त करनी होगी। कच्चे माल, कलपुर्जों और पूंजीगत वस्तुओं की एक विनिर्दिष्ट "नकारात्मक सूची" होगी, जिनका आयात लाइसेंसों के विरुद्ध ही करना जारी रहेगा। उपभोक्ता वस्तुओं के लिए आयात नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो प्रतिबन्धित रहेगी। यात्रा ऋण, परिशोधन अदायगियों, लाभांशों, रायल्टियों व अन्य प्रेषणाओं सहित गैर-सरकारी खाते पर अन्य अदायगियों के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा भी बाजार दर पर प्राप्त करनी होगी।

17. नई प्रणाली एग्जिमस्क्रिपों की प्रणाली का स्थान लेगी। प्रत्येक निर्यात लेनदेन के लिए एग्जिमस्क्रिप जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नई प्रणाली बैंकों के माध्यम से संचालित होगी। एग्जिमस्क्रिपों पर प्रीमियम के स्थान पर निर्यातकों को विदेशी मुद्रा बाजार में उनकी आय के 60 प्रतिशत भाग पर प्रीमियम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन अब विदेशों में हमारे कामगारों से प्रेषणाओं पर भी उपलब्ध होंगे। इस बात की कोई वजह नहीं है कि हमारे कामगारों को, जो विदेश में अपने कठिन परिश्रम के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, इस समय केवल वस्तुओं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यातों को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों से वंचित रखा जाये। मैं विदेशों में कार्य कर रहे केरल और अन्य राज्यों के लोगों का अभिनन्दन करता हूं। आज मैंने जो घोषणा की है वह उन लोगों द्वारा भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन में किये जाने वाले शानदार योगदान के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक मात्र है।

18. इन परिवर्तनों के साथ हम व्यापार नीति के सरलीकरण, लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने और सम्बद्ध नौकरशाही की देरी और बहुत सी मदों के सम्बन्ध में अकार्यकुशलताओं को दूर करने का प्रमुख उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे। हम, भुगतान सन्तुलन के एक बड़े भाग का प्रबन्ध करने के लिए भी एक स्व-सन्तुलनकारी पद्धति लागू कर लेंगे। आयात की कुल मात्रा स्वतः ही विदेशी मुद्रा की उपलब्ध मात्रा द्वारा विनियमित होगी। विदेशी मुद्रा के अभाव में प्रीमियम परिलक्षित होगा, जो निर्यातकों को व उन व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो प्रेषणाएं भेजते हैं और इस प्रकार इस प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक तैयारशुदा प्रोत्साहन की व्यवस्था होगी। नई विदेशी मुद्रा प्रणाली के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज अधिसूचित किये जा रहे हैं। व्यापार नीति में परिवर्तन सम्बन्धी अधिसूचनाएं वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही हैं।

19. विदेशी मुद्रा को गैर-कानूनी माध्यमों से भेजने का एक कारण सोने का गैर-कानूनी आयात है। अब समय है कि हम स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करने और सोने के आयात को कानूनी बनाने के लिए साहसिक कदम उठायें। सरकार का प्रस्ताव, वापस लौटने वाले भारतीयों तथा अनिवासी भारतीयों को प्रति यात्री साधारण आयात शुल्क पर 5 किलोग्राम तक सोने के आयात की अनुमति देने का है, बशर्ते की सोने और आयात-शुल्क दोनों का वित्तपोषण विदेश में अर्जित विदेशी मुद्रा से किया जाये।

20. इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि सरकार को स्वर्ण बांड जारी करने चाहियें, जिनसे सरकारी भण्डारों को पूरक बनाने में साधारण नागरिकों के निष्क्रिय पड़े स्वर्ण संसाधनों को जुटाने में मदद मिलेगी। मैंने संसद में बताया था कि इस पर तभी विचार किया जाना चाहिये, जब हमारी भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार हो जाये और अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध में सरकार की क्षमता में पर्याप्त विश्वास पैदा हो जाये। अब यह प्राप्त हो गया है। हमारे भण्डार काफी अधिक हैं और उन्हें पूरक बनाने की आवश्यकता नहीं हैं, किन्तु मैं नहीं समझता कि देशभक्त नागरिको को भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना थोड़ा भी अंशदान करने से क्यों वंचित रखा जाये। मेरा प्रस्ताव एक ऐसी स्कीम शुरू करने का है, जिसके अन्तर्गत नागरिक स्वर्ण के बदले बांड प्राप्त कर सकते हैं। इन बांडों की अवधि पांच से सात वर्ष तक की होगी और इन्हें सोने की वापसी अथवा समकक्ष मूल्य द्वारा, धारक के विकल्प पर, भुनाया जा सकेगा। इन पर थोड़ा ब्याज मिलेगा जिस पर आयकर लागू नहीं होगा। ये बांड सम्पत्ति कर और दान कर से भी मुक्त होंगे। एक और प्रोत्साहन के रूप में ऐसे बांडों के धारकों से स्वर्ण-धारण के स्रोत के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। भारतीय रिजर्व बैंक इन्हीं के अनुसार एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

21. नई औद्योगिक नीति की एक नई बात विदेशी निवेश के प्रति एक नये दृष्टिकोण की है, जो हमारे प्रौद्योगिकीय स्तरों को उन्नत करने, हमारे उद्योग को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समेकित करने और ऋण-भिन्न संसाधनों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार का प्रस्ताव उन महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों में विदेशी निवेश को सक्रियता के साथ प्रोत्साहित करने का है, जहां क्षमताएं अपर्याप्त हैं और निवेश की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश सहित निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की नीति पहले ही घोषित की जा चुकी है। एक अन्य क्षेत्र जो हमारे भावी विकास और भुगतान सन्तुलन के प्रबन्ध के लिये महत्वपूर्ण है, वह हाइड्रो-कार्बन क्षेत्र है। सरकार पहले ही यह घोषित कर चुकी है कि खोज और विकास दोनों ही क्षेत्रों में, जिसमें विद्यमान क्षेत्रों का विकास भी शामिल है, संयुक्त उद्यमों की अनुमति होगी। सरकार, तेल और गैस के उत्पादन, परिशोधन और विपणन में विदेशी निवेश सहित निजी निवेश के प्रस्तावों का स्वागत करेगी, ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की विकास क्षमता को इष्टतम बनाया जा सके।

22. कभी-कभी यह चिन्ता व्यक्त की जाती है कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की हमारी नीति से भारतीय उद्योग को हानि पहुंचेगी और इससे हमारी प्रभुसत्ता खतरे में पड़ सकती है। ये भय निरापद हैं। हमें ईस्ट इंडिया कम्पनी के भय से स्थायी रूप से ग्रस्त नहीं रहना चाहिये, जैसा कि पिछले 300 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी शर्तों पर विदेशी निवेशकों के साथ निपटने में सक्षम है। भारतीय उद्योग ने भी अपनी विकास क्षमता प्राप्त कर ली है और अब यह एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जबकि यह विदेशी निवेश के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों ही कर सकता है। पूरे विश्व में यह प्रवृत्ति विद्यमान है और हम इससे

बचकर नहीं रह सकते। सदन इस बात से आश्वस्त हो सकता है कि हमारे पास पर्याप्त नीति-विषयक उपाय हैं, जिनसे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि विदेशी इक्विटी वाले उद्यम हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करें।

23. औद्योगिक नीति के प्रति नये दृष्टिकोण में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जैसे विनियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों और साथ ही अनिवासी भारतीयों पर काफी मात्रा में विस्तृत प्रशासनिक नियन्त्रण लागू किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में विदेशी पूंजी वाली भारतीय कम्पनियों और वापस लौटने वाले अनिवासी भारतीयों पर लागू, इनमें से अनेक नियन्त्रणों से सामान्य रूप से छूट प्रदान करके प्रक्रिया को उदार बना दिया है। कुछ अन्य प्रतिबन्ध हैं जो भारतीय कम्पनियों और भारतीय निवासियों को पूर्व अनुमति के बिना निदेशन में कम्पनियों के साथ विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक सम्बन्ध कायम करने से रोकते हैं। मेरे विचार में ये व्यवस्थाएं आज की अर्थव्यवस्था सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, जबकि भारतीय व्यापार को विदेश में अपने प्रतिपक्ष के साथ व्यापक रूप तथा तेजी से व्यवहार करना होगा, जिसके लिए शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है। सरकार का प्रस्ताव विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में व्यापक संशोधन करने का है, ताकि इसे नई नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

24. पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में मैंने वित्तीय क्षेत्र सुधार के महत्व का जिक्र किया था और वित्तीय प्रणाली के सम्बन्ध में एक समिति स्थापित करने की घोषणा की थी। नरसिम्हम समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे संसद में रख दिया गया है। समिति ने बैंकिंग प्रणाली द्वारा विभिन्न दिशाओं में की गई प्रगति की यद्यपि प्रशंसा की है, तथापि समिति ने कम लाभप्रदता, घटिया पोर्टफोलियो गुणवत्ता और डूबन्त ऋणों के लिये अपर्याप्त व्यवस्था के कारण प्रणाली की वित्तीय स्थिति में गिरावट के कारण उत्पन्न गम्भीर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। समिति ने बैंकिंग के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए, जिनमें बेहतर पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों को लागू करना, डूबन्त ऋणों के लिये बेहतर व्यवस्था करना, निर्देशित उधार और सम्बद्ध ब्याज दर संरचना सम्बन्धी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना शामिल है, सुधार के लिये व्यापक सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशों में एक अधिक कारगर और प्रतियोगी बैंकिंग प्रणाली, जिसमें निजी क्षेत्र के लिये एक बड़ी भूमिका सम्मिलित है, लागू करने पर बल दिया गया है। अनेक सिफारिशों को तेजी से लागू किया जा सकता है। अन्यों पर और विचार किये जाने की आवश्यकता है। सरकार का प्रस्ताव समिति की सिफारिशों को एक क्रमिक ढंग से लागू करने का है।

25. नरसिम्हम समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में पहले कदम के रूप में सरकार ने सांविधिक नकदी अनुपात (एस० एल० आर०) में, जिससे इस समय अपेक्षाकृत कम आमदनी वाली सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक निधियों की बड़ी मात्रा रुकी हुई है, तदनुसार वाणिज्यिक बैंकों की वृद्धिकारी घरेलू देयताओं पर सांविधिक नकदी अनुपात को वर्ष 1992-93 से 38.5 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है। यह कमी राजकोषीय घाटे में प्रस्तावित कमी के अनुरूप है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेने की केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता में कमी आयेगी। इससे कृषि और उद्योग को ऋण देने के लिये बैंकों के पास निधियां उपलब्ध हो सकेंगी। राज्यों के बाजार उधारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकारी प्रतिभूतियों के लिये एक सक्रिय बाजार विकसित करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे सरकार भविष्य में बैंकों से सांविधिक उधार पर कम निर्भर होगी।

26. मुद्रास्फीति की दर में आई गिरावट को देखते हुए बैंकों द्वारा वाणिज्यिक अग्रिमों पर ली जाने वाली ब्याज दरों के सम्बन्ध में राहत प्रदान करना सम्भव है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक अग्रिमों पर ब्याज दरों के न्यूनतम स्तर में एक प्रतिशत बिन्दु की कटौती की अलग से अधिसूचना जारी कर रहा है।

27. वित्तीय क्षेत्र सुधार में पूंजी बाजारों का सुधार भी शामिल है, जो जनता से संसाधन जुटाने और आवंटन में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। पिछले वर्ष मेरे बजट भाषण में घोषित अनेक उपायों को कार्यान्वित किया जा चुका है। भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड की अब सांविधिक आधार पर स्थापना की जा चुकी है। जैसे-जैसे हम अनुभव प्राप्त करेंगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड को, इसकी क्षमता में मजबूती लाने के उद्देश्य से, और अधिक अधिकार दिये जायेंगे। सरकार ने मार्गनिर्देश भी जारी किये हैं, जिनसे नई निजी क्षेत्र पारस्परिक निधियों का कार्य-चालन अधिशासित होगा। सरकार ने अच्छा पिछला रिकार्ड रखने वाली कम्पनियों को विदेश में निवेशकों को इक्विटी अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी करने तथा इन निर्गमों पर वही कर-लाभ देने की अनुमति प्रदान की है जो अपतटीय पारस्परिक निधियों के लिये उपलब्ध हैं। इससे भारतीय कम्पनियों को विश्व पूंजी बाजार में उपलब्ध बड़ी मात्रा में इक्विटी निधियां जुटाने में मदद मिलेगी। हम विख्यात विदेशी निवेशकों को, जैसे कि पेंशन निधियों को, हमारे पूंजी बाजारों में, उपयुक्त कार्य-प्रणालियों के साथ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इससे प्रबन्ध नियन्त्रण समाप्त होने का कोई भय नहीं है, निवेश करने की अनुमति देने के उपायों पर भी विचार करेंगे।

28. वित्त मन्त्रालय में पूंजी निर्गम नियन्त्रक की भूमिका की, विशेष रूप से उभरते हुए औद्योगिक और वित्तीय परिदृश्य के सन्दर्भ में, समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। आज के बदलते हुए विश्व में पूंजी निर्गमों पर और साथ ही निर्गमों की कीमतों पर सरकारी नियन्त्रण की प्रथा अप्रासंगिक हो गई है। इसलिए प्रीमियम निर्धारण सहित पूंजी निर्गमों पर सरकारी नियन्त्रण समाप्त करने का प्रस्ताव है। कम्पनियों को बाजार तक सीधे ही पहुंचने की अनुमति होगी, बशर्ते कि निर्गम प्रकटन तथा निवेशकर्ता के संरक्षण से सम्बद्ध अन्य मामलों से सम्बन्धित प्रगतिशील मार्गनिर्देशों के अनुरूप हों। सरकार इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक विधान लाने का प्रस्ताव कर रही है।

29. वर्ष 1991-92 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और आधुनिकीकरण की लागत का कामगारों पर अत्यधिक बोझ न पड़े, एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि स्थापित करने के सरकार के इरादे की घोषणा की थी। इस निधि का उद्देश्य एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना था, जिससे प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के प्रतिकूल परिणामों से कामगारों को सुरक्षा प्राप्त होगी। सरकार ने अब इस निधि की स्थापना कर दी है। निधि के अन्तर्गत, आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के फलस्वरूप कामगारों के पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन की लागत वहन करने के लिए सहायता तथा साथ ही किसी औद्योगिक इकाई के पुनर्गठन द्वारा प्रभावित कामगारों को क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जायेगी। सरकार का प्रस्ताव राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए आवश्यकता को पूरा करने के वास्ते बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क करने का भी है। अनुमान है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से लगभग 1,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी जिसका उपयोग निधि के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच स्कीमों के लिए किया जायेगा, जिनमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विशेष योजनाएं भी शामिल हैं। इस सन्दर्भ में, हम हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी के उन्नयन की एक योजना तैयार करेंगे जिसमें विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त हो। माननीय सदस्य इस बात से

आश्वस्त हो सकते हैं कि सरकार औद्योगिक रुग्णता और संरचनात्मक सुधारों की समस्याओं से निपटते समय कामगारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ है।

30. कृषि हमारी राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है और आर्थिक विकास की कोई नीति हमारे देश में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि इसमें कृषि में रोजगार और उत्पादन की तीव्र गति सुनिश्चित न हो और जब तक हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नहीं बदल लेते तब तक अपने बढ़ते हुई ग्रामीण श्रमिक बल के लिए पर्याप्त रोजगार प्रदान करने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके लिए एक बहु-आयामीय नीति की आवश्यकता है जिसमें भू-सुधारों का कारगर कार्यान्वयन और सिंचाई तथा नाली व्यवस्था में बड़ी मात्रा में निवेश, जल प्रबंध प्रणालियों में सुधार, भूमिह्रास पर नियन्त्रक, ऋण प्रणाली को मजबूत बनाना और कृषि विस्तार तथा अनुसंधान में सुधार करना शामिल है। चूंकि कृषि एक राज्य विषय है, इसलिए इस दिशा में अधिकांश प्रयास राज्य सरकारों को करने होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें इन मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगी। केन्द्र अपनी ओर से निरन्तर निधिकरण और विभिन्न निर्धनता उन्मूलन योजनाओं के पुनर्गठन के प्रति, जो हमारी विकास नीति का एक प्रमुख अंग हैं, दृढ़-प्रतिज्ञ है।

31. विभिन्न प्रकार के कृषि व्यवसाय को समर्थन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार पैदा करने के लिए नवीन विचारों को समर्थन देने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक प्रयोगात्मक उपाय के रूप में सरकार का प्रस्ताव, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और आई० डी० बी० आई० द्वारा वित्तपोषित एक स्वायत्त निगमित इकाई के रूप में एक लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ स्थापित करने का है। संघ में अलग-अलग फसलों से सम्बन्धित विभिन्न विकास बोर्डों तथा कृषि और कृषि-उद्योगों से सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के निगमों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों, बैंकों, वैज्ञानिक संगठनों और कृषक संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संघ, आर्थिक कार्यकुशलता, पर्यावरणात्मक दृढ़ता और सामाजिक समानता के सिद्धांतों पर कार्य करेगा तथा वर्ष 1992-93 में देश के विभिन्न भागों में, मिले-जुले उद्यमों और राज्य सरकारों तथा कृषक परिवारों की सक्रिय सहभागिता के आधार पर, 12 प्रमुख परियोजनाएं आयोजित करेगा। जैसे-जैसे हमें अनुभव होता जाएगा हम कार्यक्रम का विस्तार करते जाएंगे। हमें अपने कृषि इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करना चाहिए, जहां कृषि उद्यमों से न केवल अधिक खाद्य प्राप्त होता है, बल्कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उत्पादक रोजगार और अधिक आय प्राप्त होती है।

32. अब मैं वर्ष 1991-92 के संशोधित अनुमानों की चर्चा करूंगा। वर्ष 1991-92 में हमारा मुख्य बृहत्-आर्थिक लक्ष्य राजकोषीय घाटे को कम करना था जिससे कि अर्थव्यवस्था में बृहत्-आर्थिक संतुलन की पुनःस्थापना की जा सके। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहे हैं।

33. 1991-92 को बजट अनुमानों में 113,422 करोड़ रुपए के कुल व्यय की व्यवस्था की गई थी। पिछले वर्षों के विपरीत, जबकि व्यय के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में प्रायः काफी अधिक हो जाया करते थे, इस वर्ष ये 320 करोड़ रुपए के थोड़े से अन्तर से कम रहे हैं। राजस्व पक्ष में, वर्ष की अधिकांश अवधि में अत्यधिक आयात संकुचलन के कारण सीमा शुल्क राजस्व में 3,960 करोड़ रुपए की भारी कमी हुई है लेकिन यह कमी, उत्पाद शुल्क तथा आय कर की अधिक उगाहियों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गयी है, जिसके फलस्वरूप सकल कर राजस्वों में यह कमी 1,869 करोड़ रुपए की रह गई है। कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां भी काफी अधिक हुई हैं। परिणामस्वरूप

कुल प्राप्तियां 106,070 करोड़ रुपए होने का अनुमान 105,703 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से अधिक है।

34. 1991-92 के संशोधित अनुमानों में बजटीय घाटा 7,032 करोड़ रुपए का है जोकि 7,719 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से कम है तथा 1990-91 की तुलना में, जबकि कुल बजटीय घाटा 11,347 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। काफी कम है। संशोधित अनुमानों में राजकोषीय घाटा सभी ऋणों को भी हिसाब में लेने के बाद, 37,792 करोड़ रुपए का है यह राशि 37.727 करोड़ रु० के बजट अनुमानों के लगभग समान है तथा 1990-91 के 44,650 करोड़ रुपए की राशि से बहुत कम है। इस प्रकार हम राजकोषीय घाटे को 1990-91 के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8.4 प्रतिशत से कम करके 1991-92 में लगभग 6.5 प्रतिशत तक लाने में सफल रहे हैं।

35. व्यय पक्ष में कड़ा अनुशासन लागू करके ही घाटे में यह कमी लाना सम्भव हो सका है। बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, कुछ अतिरिक्त व्यय सम्बन्धी प्रावधान करने आवश्यक हो गए थे। इनमें सबसे उल्लेखनीय उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता हेतु अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता थी, जोकि प्रारम्भिक रूप से प्रस्तावित 40 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि को केवल 30 प्रतिशत तक रखे जाने सम्बन्धी निर्णय तथा इस तथ्य के कारण भी उत्पन्न हुई कि आयातित उर्वरकों की रुपया लागत बजट अनुमानों में अनुमानित राशि से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप, उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान की राशि, जो बजट अनुमानों में 4,000 करोड़ रुपए थी, संशोधित अनुमानों में उसे बढ़ाकर 4,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि, यह राशि भी 1991-92 के लिए आर्थिक सहायता सम्बन्धी सभी दावों के लिये पूरी नहीं बैठती है और कुछ राशि आगामी वर्ष में आगे चली जाएंगी, जैसी कि एक सामान्य वाणिज्यिक प्रथा है। छोटे किसानों को संशोधन-पूर्व मूल्यों पर उर्वरकों की आपूर्ति करने की योजना के लिये संशोधित अनुमानों में 405 करोड़ रुपए की अलग व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

36. निर्गम मूल्य बढ़ाने में देरी होने के कारण, मुझे खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता हेतु बजट प्रावधान में 250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ी है। निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायता के लिये भी 550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है। यह आर्थिक सहायता 3 जुलाई 1991 को समाप्त कर दी गई थी, लेकिन बकाया दावे मूल रूप से प्रत्याशित दावों से कहीं अधिक प्रतीत होते हैं। लेकिन, अतिरिक्त व्यय की इन मांगों को विभिन्न मन्त्रालयों के स्वीकृत बजटों में होने वाली बचतों द्वारा प्रतिसंतुलित कर लिया गया है।

37. वर्ष 1991-92 में संसाधनों की कठिन स्थिति का प्रभाव आयोजना व्यय पर पड़ा। सकल संसाधन सम्बन्धी कमी के कारण सरकार को केन्द्रीय योजना हेतु बजटीय समर्थन को सीमित रखना पड़ा तथा इस मद के लिए संशोधित अनुमान, बजट अनुमानों से 7 प्रतिशत कम हैं। इस आंशिक कटौती के बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए कि उच्च-प्राथमिकता वाली परियोजनाएं इससे प्रभावित न हों तथा वास्तविक रूप से चल रही योजनाओं की वास्तविक प्रगति के अनुरूप धनराशि जारी करने को विनियमित करके इस कटौती को पूरा किया गया है। मुख्यतः विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की अधिक रुपया आवश्यकताओं के कारण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में 651 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई।

38. सदन का यह जानकर हर्ष होगा कि हालांकि संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय सरकार का अपना व्यय बजट अनुमानों से कम है, तथापि करों के हिस्से तथा केन्द्रीय आयोजना सहायता के रूप में राज्यों को किया जाने वाला कुल अन्तरण बजट अनुमानों से 1,683 करोड़ रुपये अधिक हैं, इस प्रकार

यह राशि 1,365 करोड़ रुपये की लघु बचत ऋणों में कमी को पूरा करने से भी अधिक रही है। राज्यों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के मार्ग में हमने किसी भी प्रकार से राजकोषीय कठिनाइयां को बाधक नहीं बनने दिया है।

39. अब मैं वर्ष 1992-93 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना पहली अप्रैल, 1992 से आरम्भ हो रही है तथा इसका उद्देश्य दस वर्षों की अवधि में लगभग पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रत्येक क्षेत्र की निवेश सम्बन्धी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं तथा यह महत्वपूर्ण है कि आयोजना आवंटनों से, विशेषकर आधारभूत संरचना वाले क्षेत्र की कार्यान्वियन एजेंसियां अच्छी शुरूआत करने में समक्ष हो सके। तथापि, बृहत-आर्थिक संतुलन को फिर से कायम करने की सतत आवश्यकता के कारण हमें सीमाओं के अन्दर ही कार्य करना पड़ा, जोकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने और भुगतान-संतुलन के प्रबन्ध हेतु हमारे लिये अनिवार्य है। इस उद्देश्य से 1992-93 के राजकोषीय घाटे में और कमी करने की आवश्यकता है। यदि, बढ़ते हुये कर और कर-भिन्न राजस्वों के साथ-साथ सरकार के आयोजना-भिन्न व्यय को सीमित रखा जा सके तो बड़े आयोजना व्यय की व्यवस्था न्यूनतम राजकोषीय घाटे के अन्दर ही की जा सकती है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि वास्तव में यह एक कठिन कार्य रहा है।

40. ब्याज सम्बन्धी प्रभार, आयोजना-भिन्न व्यय की सबसे बड़ी एकल मद है तथा 1992-93 के बजट अनुमानों में इनकी राशि 32,000 करोड़ रुपए है। यह राशि 1991-92 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 4,750 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाती है, जोकि आयोजना-भिन्न व्यय में 4,40" करोड़ रुपये की कुल वृद्धि से भी अधिक है। इसका अर्थ यह है कि 1992-93 में आयोजना-भिन्न व्यय की अन्य सभी मदें कुल मिलाकर भी चालू वर्ष की तुलना में वास्तविक रूप से कम होंगे। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि ब्याज सम्बन्धी प्रभार एक वचनबद्ध व्यय होता है, जोकि पिछले घाटों के संचयी प्रभाव को दर्शाता है। इस मद को केवल उधार ली जाने वाली राशियों पर निर्भरता को कम करके ही नियन्त्रित किया जा सकता है तथा मैं 1992-93 के राजकोषीय घाटे को कम करके ऐसा करने का इरादा रखता हूं। तथापि, इस कार्रवाई का लाभ केवल भविष्य में बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्रियों द्वारा ही अनुभव किया जा सकेगा। मेरे विचार से मेरे उत्तरवर्ती वित्त मंत्री चैन की नींद ले सकेंगे जबकि मेरे साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ है।

41. रक्षा सेवाओं के लिए मैं 17,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहा हूं, जोकि चालू वर्ष के 16,350 करोड़ रुपये के प्रावधान से 7 प्रतिशत अधिक है। कुछ किफायतों और व्यय सम्बन्धी कड़े नियन्त्रण के साथ-साथ, मुझे विश्वास है कि इस आवंटन से हमारी सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने सम्बन्धी अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने में समर्थ होंगी।

42. अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में हमने वचन दिया था कि हम रक्षा पेंशन भोगियों की 'एक रैंक एक पेंशन' सम्बन्धी लम्बे समय से चली आ रही मांग के लिए कोई सुधारात्मक हल खोजेंगे। एक अधिकार-प्राप्त समिति, जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री हैं तथा भूतपूर्व सैनिक और मुख्य राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ विशिष्ट संसद सदस्य भी इसमें शामिल हैं, ने इस मामले की जांच की है तथा सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, सरकार ने रक्षा कार्मिकों पर लागू होने वाली पेंशन दरों में यथार्थ वृद्धि करने की स्वीकृति दे दी है। पहली जनवरी, 1992 से लागू होने वाले इस निर्णय से सशस्त्र सेनाओं के सभी रैंकों वाले छः लाख से भी अधिक पेंशन-

भोगियों को लाभ पहुंचेगा, जिनमें दो लाख से भी अधिक जवान हैं और उनमें से कुछ पहली जनवरी, 1986 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। सरकार ने मृतक रिजर्व सैनिकों के परिवारों, जिन्हें परिवार पेंशन प्राप्त नहीं होती, के लिए भी परिवार पेंशन की अनुग्रह-राशि देने के आदेश जारी किए हैं। इन लाभों के परिणामस्वरूप महंगाई राहत की मौजूदा दरों के अनुसार प्रतिवर्ष 120 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होगा।

43. आर्थिक सहायता (सब्सिडी), आयोजना-भिन्न व्यय का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक होती है। पिछले वर्ष, खाद्य, उर्वरक तथा निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायताएं तीन प्रमुख आर्थिक सहायता थीं तथा इनमें तीव्रता से बढ़ोत्तरी, आयोजना-भिन्न व्यय में अनिबन्धित वृद्धि होने का एक मुख्य कारण हैं। इस वर्ष हमने निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायताओं को समाप्त करके एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। तथापि, आर्थिक सहायता सम्बन्धी कुछ अदायगियां अभी भी की जानी हैं तथा मैं इसके लिए 480 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहा हूं।

44. खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता हमारी जनसंख्या के निर्धन और कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुरक्षा सम्बन्धी हमारी प्रणाली का एक अंग है तथा हमारी सामाजिक नीति का एक मूल तत्व है। इस प्रयोजनार्थ मैं 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं, जोकि इस प्रणाली की सामान्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। 1700 पिछड़े ब्लाकों में कार्यान्वित की जा रही नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु अतिरिक्त आर्थिक सहायता के वास्ते तथा 3 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले बहुत से गोदामों के निर्माण सम्बन्धी लागत के लिए 250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होगी। वर्ष के दौरान इन आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा करने के लिये इन मदों के लिए आवंटन में वृद्धि कर दी जाएगी।

45. इसके पश्चात मैं उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता की ओर आता हूं, जोकि हमारी प्रणाली में सबसे बड़ी एकल आर्थिक सहायता के रूप में विकसित हो गई है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कृषि उत्पादन के लिये उर्वरक एक अनिवार्य अंग हैं तथा कृषि सम्बन्धी विकास सामान्य रूप में न केवल आर्थिक विकास के लिये बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के स्तर को ऊंचा उठाने को सुनिश्चित करने के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। 1980-81 में उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता, कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और सिंचाई तथा बाढ़-नियन्त्रण इन सभी के लिए केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के कुल आवंटन का 12 प्रतिशत थीं। 1991-92 में यह बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई। इस समय एक संसदीय समिति उर्वरक सम्बन्धी मूल्य-निर्धारण और आर्थिक सहायता के समस्त मामले, जिसमें आर्थिक सहायता के पुनर्गठन सम्बन्धी विकल्प भी शामिल हैं, की जांच कर रही है। मेरा इस समिति के रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने और वर्ष के उत्तरार्द्ध में इस पर विचार करने का प्रस्ताव है। सभी कारकों को ध्यान में रखते हुये, मैं वर्ष 1992-93 में उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता हेतु 5,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहा हूं।

6.00 म० प०

46. राजकोषीय घाटे को प्रबन्ध-योग्य सीमाओं में रखने के लिए आयोजना-भिन्न व्यय की अन्य मदों सम्बन्धी आवंटन को सख्ती से सीमित कर दिया गया है। मैंने सभी मंत्रालयों में अपने सहयोगियों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने मंत्रालयों में व्यय नियन्त्रण प्रणाली की समीक्षा करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किफायत बरतने के लिए सभी संभव कदम उठाए गए हैं ताकि बजट अनुमानों में किये जाने वाले प्रावधानों में वृद्धि न हो। पिछले दो वर्षों की तरह ही, 1992-93 के

बजट अनुमानों में भी अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तों के लिये, जो उस वर्ष में देय हो सकते हैं, कोई पृथक व्यवस्था नहीं की जा रही है। सभी मंत्रालयों से इस मद पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को स्वीकृत बजट प्रावधानों के अन्दर ही समायोजित की आशा की जाएगी।

47. इन प्रावधानों के साथ आयोजना-भिन्न व्यय के लिये कुल आवंटन की राशि 84,475 करोड़ रुपये बैठती है जो वर्ष 1991-92 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 4,405 करोड़ रुपये अधिक है। परन्तु जैसा कि मैंने पहले बताया है, केवल ब्याज व्यय में ही 4,750 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि ब्याज और आर्थिक सहायता की बड़ी आवश्यकताओं के कारण आयोजना-भिन्न व्यय में कमी करना कठिन है तथा इससे आयोजना व्यय के लिये बजटीय समर्थन भी सीमित रह जाता है। फिर भी, मैंने आयोजना व्यय के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास किया है।

48. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता, जोकि 1991-92 के बजट अनुमानों में 14,710 करोड़ रुपये थी, को 1992-93 में बढ़ाकर 16,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है। कर-निर्धारण के विद्यमान स्तर पर भी राज्यों के करों के हिस्से में 2,237 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 1,401 करोड़ रुपये की इस बढ़ोत्तरी से राज्यों के लिये विभिन्न योजना कार्यक्रमों के लिये आवंटनों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करना संभव हो सकेगा।

49. वर्ष 1992-93 के लिए कुल केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना परिव्यय 48,407 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह आयोजना हेतु 18,501 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन तथा विभिन्न उपक्रमों/उद्यमों के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों से 29,906 करोड़ रुपये के अंशदान पर आधारित है। सौभाग्यवश आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों में चालू वर्ष के स्तर की तुलना में 25 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई है तथा यह विभिन्न आधारभूत क्षेत्रों के आयोजना-परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, चालू वर्ष के बजट अनुमानों में रेलवे के 5,325 करोड़ रुपये के परिव्यय को बढ़ाकर आगामी वर्ष की आयोजना में 5,700 करोड़ रुपए; नौवहन के परिव्यय को 617 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,222 करोड़ रुपए, नागर विमानन के परिव्यय को 433 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,036 करोड़ रुपए, दूरसंचार के परिव्यय को 3,203 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,500 करोड़ रुपये; और उर्वरक उद्योग के परिव्यय को 411 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,234 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विद्युत के लिए 6,411 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम के लिए 6,054 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

50. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए बजट में 2,610 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जोकि 1991-92 के बजट अनुमानों से थोड़ा कम है, हालांकि यह संशोधित अनुमानों से अधिक है। लेकिन इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों हेतु किए जा रहे हमारे समग्र प्रयासों का एक अंश ही परिलक्षित होता है। अपने समाज के, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्गों को उस बोझ से बचाने के लिये संरक्षण देने सम्बन्धी अपनी विशेष जिम्मेदारी के बारे में सरकार पूरी तरह जागरूक है, जोकि अन्यथा वृहत-आर्थिक स्थिरीकरण और आर्थिक पुनर्गठन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उन वर्गों पर पड़ेगा। इसलिए उन क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजनाओं के वास्ते, जहां गत वर्षों के मुकाबले अब रोजगार सम्बन्धी आवश्यकताओं का अधिक दबाव देखने में आया है, जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार सृजन सम्बन्धी योजनाओं के समर्थन हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से 500 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त आवंटन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। समाज के इन सुविधाहीन वर्गों को

कीमतों के दबाव से बचाने के लिए 1700 सर्वाधिक पिछड़े ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम दरों पर खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। बजट में किए गए आयोजना सम्बन्धी प्रावधान तथा ऊपर उल्लिखित प्रस्तावित अतिरिक्त आवंटनों को मिलाकर ग्रामीण विकास सम्बन्धी कुल आवंटन, चालू वर्ष की तुलना में पर्याप्त वृद्धि दर्शायेगा।

51. महत्वपूर्ण परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष के 749 करोड़ रुपए के आयोजना सम्बन्धी परिव्यय को आगामी वर्ष में बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि जनसंख्या सम्बन्धी समस्या से निपटने के लिए सरकार के दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिये भी परिव्यय की राशि 479 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 530 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के बारे में सरकार की वचनबद्धता को पूरी तरह परिलक्षित करना है।

52. संसाधन सम्बन्धी अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद उन अन्य क्षेत्रों के लिए, जो अपनी योजनाओं के लिये बजटीय समर्थन पर काफी सीमा तक निर्भर रहते हैं, अधिकांश को कम से कम उतनी बजटीय सहायता प्रदान की गई है, जितनी कि चालू वर्ष में दी गई थी। मैं इससे भी अधिक राशि की व्यवस्था करता, लेकिन हमें उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं के भीतर ही रहना है। विशेष रूप से मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमें बजट में आवंटित किये जाने वाले परिव्यय में वृद्धि किए जाने पर ही किसी योजना सम्बन्धी गुणवत्ता का अनुमान लगाने की पूर्व प्रथा का त्याग कर देना चाहिये। हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं तथा उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग की उत्पादकता में सुधार करने के लिये अभी भी विस्तृत संभावनाएं है। संसाधन सम्बन्धी विभिन्न दावों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए तथा इस बात पर अधिक बल दिया जाना चाहिए कि वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का कैसे अधिकतम लाभ उठाया जाए। समृद्धि तक पहुंचने के लिए हम अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते।

53. कर-निर्धारण की मौजूदा दरों के अनुसार आगामी वर्ष 75,541 करोड़ रुपये की सकल कर प्राप्तियां होने का अनुमान है, जबकि इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 67,300 करोड़ रुपये है। इसमें से राज्यों का हिस्सा 18,492 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जोकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1,293 करोड़ रुपए अधिक है। आगामी वर्ष में कर-भिन्न राजस्व, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2,689 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। इसमें रेलवे से 416 करोड़ रुपये का आस्थगित लाभांश शामिल है। आगामी वर्ष के अनुमानों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांशों और लाभों के कारण 423 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्षों के विपरीत यह प्रस्ताव है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि ये उद्यम केवल पूंजी-निवेश के आधार पर देय लाभांश का निर्धारण करने के स्थान पर कर-पश्चात् लाभों के एक उचित हिस्से का लाभांश अथवा अधिशेष लाभ के रूप में अन्तरण करें। भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने लाभों का एक बड़ा हिस्सा अन्तरित करेगा।

54. पूंजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत मैंने 5,000 करोड़ रुपये के बाजार ऋणों को जमा में लिया है। यह राशि चालू वर्ष के बजट अनुमानों की 7,500 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में काफी कम है, जो राजकोषीय घाटे को कम करने तथा उसके परिणामस्वरूप ऋण राशियों पर आश्रित न रहने सम्बन्धी हमारे लक्ष्य को दर्शाती है। अनुदानों सहित विदेशी सहायता, किन्तु वापसी अदायगियों को कम करने के बाद, 5,374 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

55. चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश करने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। विकास के लिए गैर-स्फीतिकारी संसाधन जुटाने की दृष्टि से 1992-93 में इस प्रक्रिया को जारी रखने की संभावना है। तदनुसार मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में और विनिवेश करने से होने वाली 2,500 करोड़ रुपये की प्राप्ति को हिसाब में ले रहा हूं। इस राशि के अतिरिक्त, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए 1992-93 के दौरान संसाधन करने की दृष्टि से सरकार 1,000 करोड़ रुपये की इक्विटी की और बिक्री करने पर विचार करेगी, जिसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जिनमें महिला कामगार भी सम्मिलित हैं, तथा आर्थिक पुनर्गठन के कारण जिनपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, को सहायता देने सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इन संसाधनों का पिछड़े क्षेत्रों में, विशेष रोजगार सृजन योजनाओं के लिये वित्त-व्यवस्था करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा, जैसाकि मैंने पहले चर्चा की है।

56. इस प्रकार, कर-निर्धारण की मौजूदा दरों के अनुसार 1,14,215 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों तथा 1,19,087 करोड़ रुपये का कुल व्यय होने का अनुमान है। इनमें 4,872 करोड़ रुपये का अन्तर रह जाता है। मैं अब यह बता रहा हूं कि इस अन्तर का क्या करना है।

57. पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर प्रणालियों में व्यापक सुधार की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया था और बताया था कि समयाभाव के कारण मुझे इस सम्बन्ध में जो मैं चाहता था वह वह कर पाने में कठिनाई रही। बाद में, सरकार ने डा० राजा जे० चेलेय्या की अध्यक्षता में एक कर सुधार समिति गठित की। समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के करों में सुधार के जटिल विषय पर हमारे कुछ अत्यन्त प्रख्यात विशेषज्ञों के बहुमूल्य विचार सन्निहित हैं और मैंने अपने बजट प्रस्ताव तैयार करने में इनके सुझावों से काफी लाभ उठाया है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का सारांश संसद में अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि समिति के विश्लेषण और उसकी सिफारिशों की युक्तिसंगतता को पूर्णतः समझा जा सके। मैं पहले कह चुका हूं कि पूरी रिपोर्ट संसद के ग्रंथालय में भी उपलब्ध कराई जा रही है।

58. राजकोषीय विशेषज्ञों के बीच, विश्वभर से प्राप्त अनुभव के आधार पर इस बात पर सहमति है कि एक सामान्य प्रगतिशील कर प्रणाली और उसका दृढ़ता से पालन करना ही ईमानदारीपूर्वक और स्वैच्छिक कर-अनुपालन को प्रोत्साहित करने का एक सर्वोत्तम तरीका है। चेलेय्या समिति ने इस विचार का समर्थन किया है और सिफारिश की है कि हमारी प्रत्यक्ष कर पद्धति अधिक कारगर होगी, यदि आयकर प्रणाली में आयकर की दरें कम हों और प्रारम्भिक दर तथा अधिकतम सीमांतिक दर के बीच अन्तर कम रहे तथा प्रोत्साहन छूटें कम से कम हों। मैं इस मूल्यांकन से सहमत हूं और मेरा प्रस्ताव वैयक्तिक आयकर को निम्न प्रकार से पुनर्गठित करने का है। मेरा प्रस्ताव आयकर छूट की सीमा, जो इस समय 22,000 रुपये है उसे बढ़ाकर 28,000 रुपये करने का है। इससे निम्न आय वर्ग में करदाताओं को काफी राहत मिलेगी और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे, जिनमें से अनेक ने पिछले वर्ष भी ऐसे समायोजन का आग्रह किया था। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त होंगे कि मैं इस महान सदन में होने वाली कार्यवाही को ध्यानपूर्वक और सुग्राहिता से सुनता हूं। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि केवल तीन कर दर खण्ड रखे जाएं और आरम्भ में 50,000 रुपए तक कर की दर 20 प्रतिशत होगी, 1,00,000 रुपए तक मध्य खण्ड पर यह दर 30 प्रतिशत और 1,00,000 रुपए से ऊपर 40 प्रतिशत की अधिकतम दर लागू होगी। विनिर्दिष्ट

हिन्दू अविभाजित परिवारों के मामले में भी तदनुरूपी संशोधन किया जा रहा है। संसाधनों की गम्भीर कमी के कारण मैं एक और वर्ष के लिए 12 प्रतिशत का अधिभार बनाए रखने के लिए बाध्य हूं। किन्तु, यह केवल उन्हीं के द्वारा देय होगा जिनकी आय एक लाख रुपए से अधिक होगी।

59. कर दरों में कटौती को देखते हुए, बहुत-सी कर छूटें, जिनसे उच्च आयकर दाताओं को बड़ी मात्रा में लाभ होता था, अब न्यायसंगत नहीं हैं। इसलिए, मेरा प्रस्ताव आयकर अधिनियम की धारा 80ठ, 80गगक और 80 गगख के अन्तर्गत कटौतियों को समाप्त करने का है। गृह सम्पत्ति से आय के परिकलन को भी इस समय अनुमत्य कतिपय कटौतियों के सम्बन्ध में युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। तथापि, धारा 88 के अन्तर्गत उपबन्ध को, जिसके अन्तर्गत विशिष्ट बचतों, जैसे कि जीवन बीमा, भविष्य निधियां इत्यादि के सम्बन्ध में कर छूट की व्यवस्था है, जारी रखा जाएगा, क्योंकि इनका लाभ निश्चित वेतन अर्जकों द्वारा उठाया जाता है। वस्तुतः मेरा प्रस्ताव, राष्ट्रीय आवास बैंक और पारस्परिक निधियों द्वारा स्थापित पेंशन निधियों में अंशदानों को शामिल करके इसका क्षेत्राधिकार बढ़ाने का है। मैं यह व्यवस्था भी कर रहा हूं कि जो उन बचत स्कीमों में अंशदान करना जारी रखना चाहते हैं, जो अब तक धारा 80गगक और 8गगख के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र है, उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत कर छूट प्राप्त हो सके।

60 कहा जाता है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किन्तु हमारे कुछ करदाताओं ने बच्चों को अपने पिताओं के लिए कर आश्रय-स्थल में बदल दिया है। कर कानून में माता-पिता द्वारा दिये गये उपहारों से आय को जोड़ने का प्रावधान है, किन्तु यह अन्य आय पर लागू नहीं होता, जिसमें अन्य उपहारित परिसम्पत्तियों से आय शामिल है और परस्पर उपहार देने की प्रथा का उपयोग जोड़ने से बचने के लिए किया जाता है। चेलय्या समिति ने सिफारिश की है कि इस खामी को दूर करने के लिए, जिसकी वजह से काफी मात्रा में राजस्व की हानि होती है, अवयस्क बच्चे की आय को माता-पिता की आय के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस सुझाव में वजन है और मेरा प्रस्ताव इसे स्वीकार करने का है। तथापि, बच्चों में अनेक प्रतिभाओं की विद्यमानता को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से हमारे देश के बाल कलाकारों को ध्यान में रखते हुए, मेरा प्रस्ताव उनकी व्यावसायिक आय को और साथ ही अवयस्कों की किसी मजदूरी आय को इस प्रकार जोड़ने से अलग रखने का प्रस्ताव है। अवयस्क बच्चे की आय को कर प्रयोजनों के लिए माता-पिता की आय के साथ जोड़ने की प्रथा अनेक देशों में प्रचलित है।

61. आयकर दरों को पुनर्गठित करने के कारण परम्परागत रूप से 1,500 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान है। किन्तु, यह रियायतों और कर छूटों में प्रस्तावित कमी करने और अवयस्क की आय के कर निरुपण में परिवर्तन से प्रतिसन्तुलित हो जाएगी। यदि कर दरों को कम करने से, जैसी कि मुझे उम्मीद है, बेहतर कर वसूली होगी, तो निवल राजस्व लाभ होगा यद्यपि इसे मात्रात्मक रूप में बताना सम्भव नहीं है। यदि कर दाता मेरे साथ सहयोग करें तो राजस्व अर्जन में पर्याप्त वृद्धि होगी। मेरा प्रस्ताव करदाताओं को आयकर दरों में और कमी करके उन्हें पुरस्कृत करने का है। अब यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।

62. 80 करोड़ से अधिक की आबादी वाले हमारे देश में मुश्किल से 70 लाख लोग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर अदा करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि कर जाल के अन्तर्गत नये करदाताओं को लाया जाये। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेरा प्रस्ताव 5 लाख रुपये से कम के वार्षिक कारोबार वाले दुकानदारों व अन्य खुदरा व्यापारियों के सम्बन्ध में एक परिकल्पित कर पद्धति लागू करने का है। विस्तृत

लेखा बहियां रखने, जटिल कर विवरणी दाखिल करने और सामान्य कर निर्धारण प्रक्रिया के पालन में होने वाली कठिनाई से बचने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक सरलीकृत योजना तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत करदाता अपने कारोबार का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेगा और उस वर्ष के लिए कर के रूप में केवल 1,400 रुपए अदा करेगा। इससे सम्भावित करदाताओं को कर प्रणाली के अन्तर्गत आने में उनकी मनोवैज्ञानिक हिचकिचाहट को दूर करने में मदद मिलेगी। यह योजना केवल ऐच्छिक आधार पर लागू की जा रही है और यह उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी आय कर-योग्य हो। छूट सीमा 28,000 रुपए तक बढ़ा देने से सम्भव है कि 2.5 लाख रुपए से 3.00 लाख रुपए से कम के कारोबार वाले व्यक्तियों को यह परिकल्पित कर अदा न करना पड़े।

63. दीर्घावधिक पूंजी लाभों के वर्तमान कर निर्धारण की इस आधार पर आलोचना की गई है कि कर योग्य लाभ परिकलित करने में दी गई छूट उस अवधि से संबंधित नहीं होती जिस अवधि में परिसम्पत्ति धारित की गई है। इसके अन्तर्गत उस स्फीति को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है जो उस समय के दौरान हुई हो। चेलेय्या समिति ने इस समस्या के समाधान के लिए सूचकीकरण की एक पद्धति का सुझाव दिया है और मेरा प्रस्ताव उसकी सिफारिश को स्वीकार करने का है। कर योग्य पूंजी लाभों का परिकलन, बिक्री प्राप्तियों में से कटौती करने से पहले सामान्य स्फीति के लिये परिसम्पत्ति की लागत को समायोजित करने की अनुमति देने के बाद किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के लिये समायोजित कारक को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इस प्रकार परिकलित दीर्घावधि पूंजीगत लाभों पर, व्यष्टियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों के मामले में 20 प्रतिशत, कम्पनियों, फर्मों, व्यक्तियों की एसोसिएशनों और व्यष्टियों के निकायों के मामले में 40 प्रतिशत व अन्यों के मामले में 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। नई पद्धति से उन व्यक्तियों को लाभ होगा जिनके पूंजीगत लाभ लंबी अवधि में प्राप्त होते है तथा अल्पावधि के दौरान पूंजीगत लाभ प्राप्त करने वालों को अधिक कर अदा करना होगा। ऐसा ही होना भी चाहिये। मूल्यांकन के लिए नियत तारीख को 1 अप्रैल, 1974 से बदलकर 1 अप्रैल, 1981 किया जा रहा है। इन परिवर्तनों के साथ मेरा प्रस्ताव, कर योग्य पूंजी लाभों को परिकलित करने में मानक कटौती को वापस लेने और साथ ही विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों में निवेशित पूंजी लाभ के लिए धारा 54ङ और रिहायशी मकान की बिक्री से प्राप्त पूंजीगत लाभों के सम्बन्ध में धारा 53 के अन्तर्गत छूटों को वापस लेने का है।

64.1 यद्यपि मैं आयकर प्रणाली को सरल बना रहा हूं, तथापि उन कतिपय करदाताओं श्रेणियों को प्रत्यक्षतः कुछ रियायतें दी जानी चाहिये, जो सरकार से सहानुभूति पाने की पात्र हैं।

64.2 बहुत से व्यक्तियों को विकलांग आश्रितों का प्रतिपालन करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन पर भारी बोझ पड़ता है और यह एक ऐसा बोझ है, जिसे समाज और हमें यथासंभव कम से कम करना चाहिये। इसलिये मेरा प्रस्ताव ऐसे व्यक्तियों के लिये उपलब्ध कटौती की विद्यमान राशि 6,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का है। इसके अतिरिक्त, इस कर-रियायत का लाभ सभी करदाताओं को उनकी आय को ध्यान में रखे बगैर उपलब्ध होगा।

64.3 वेतन भोगी कार्यरत महिलाएं विशेष विचार और प्रोत्साहन की पात्र हैं। इसलिये, मेरा प्रस्ताव 75,000 रुपए तक आय वाली वेतनभोगी कार्यरत महिलाओं के मामले में मानक कटौती की राशि 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का है। मुझे आशा है कि इससे भारतीय महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के प्रति मेरी वचनबद्धता के बारे में इस सदन की माननीय

महिला सदस्य आश्वस्त होंगी। बदले में, मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि अपने पार्टी सम्बद्धन को ध्यान में रखे बगैर वे बजट का समर्थन करेंगी। वेतन भोगी महिलाओं के प्रति मेरी जो नरमदिली है, उससे हो सकता है मेरी पत्नी कुछ सन्देह करे। परन्तु मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पुत्रियां अपने पिता के इस अच्छे कार्य को अपना पूरा समर्थन देंगी।

64.4 वृद्धावस्था में व्यक्तियों को प्रायः पेश आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति मेरे सम्मान के रूप में मेरा प्रस्ताव, उन व्यक्तियों के मामले में, जिन्होंने 66 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जिनकी सकल कुल आय 50,000 रुपए से कम है, देय निवल कर पर 10 प्रतिशत की कर छूट देने का है।

64.5 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लेखकों, नाटककारों, कलाकारों संगीतज्ञों, अभिनेताओं और खिलाड़ियों की आय घटती-बढ़ती रहती है और राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के मान्यता स्वरूप उनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट बचतों के सम्बन्ध में कर छूट मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी जाएगी।

64.6 भोपाल गैस दुर्घटना के प्रभावित व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर क्षतिपूर्ति दी जानी है। दुर्घटना के विशाल मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुये, मेरा प्रस्ताव, सभी मामलों में ऐसे प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति को आयकर देयता से छूट देने का है।

64.7 मुझे ऐसे बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें वेतनभोगी और स्व-नियुक्त व्यक्तियों दोनों ही के सम्बन्ध में चिकित्सा व्यय की छूट देने का क्षेत्र बढ़ाने का आग्रह किया गया है। मेरा प्रस्ताव अस्पताल में दाखिल होने और चिकित्सा-बीमा से सम्बन्धित प्रावधानों को काफी उदार बनाने का है। वेतनभोगी व्यक्तियों को कर लाभ अब कुछेक सरकारी मान्यताप्राप्त अस्पतालों में उपचार कराने तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसी प्रकार स्व-नियुक्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा बीमा के सम्बन्ध में उपलब्ध कटौती की राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए की जा रही है। मैं इस रियायत में निजी रुचि भी ले रहा हूं क्योंकि अगर विपक्ष अपने उद्देश्य में सफल होता है तो मुझे स्व-नियुक्त व्यक्ति बनना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या आपको विश्वास है कि वे आपको निकाल देंगे ?

64.8 **श्री मनमोहन सिंह** : इस समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत अदायगियों के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को आयकर से छूट उपलब्ध है। मेरा प्रस्ताव कुछ मार्गनिर्देशों की शर्तों पर छूट का यह लाभ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देने का है।

65. इस बात की काफी अरसे से आलोचना होती रही है कि भागीदार फर्मों और भागीदारों, दोनों की आय पर कर लगाकर हम दोहरे कर निर्धारण को अपना रहे हैं। चेलेय्या समिति ने भी इस बात पर बल दिया है कि इस सम्बन्ध में दोहरे कर-निर्धारण से बचा जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें दोहरे कराधान से बचना चाहिये और मेरा प्रस्ताव, एक राहत उपाय के रूप में, फर्म को एक अलग कर इकाई के रूप में मानने और उसी आय पर भागीदारों के साथ में कर लगाने की प्रथा को समाप्त करने का है। मेरा प्रस्ताव भागीदारों को फर्म की आय में से ब्याज और वेतन के लिये की गई अदायगियों के वास्ते कटौती की अनुमति देकर उसके बाद शेष आय पर फर्म के हाथों में 40 प्रतिशत की

एकसमान दर पर कर लगाने का है। दी जाने वाली कटौती का अनुपात फर्म के आय स्तर के साथ-साथ घटता जाता है और यह इस प्रकार निर्धारित है कि छोटी फर्मों और पेशेवर फर्मों पर कुल कर भार कम हो जाएगा। भागीदारों पर फर्म की आय में उनके हिस्से पर कर नहीं लगेगा, यद्यपि, उन्हें वेतन और ब्याज की आय पर कर अदा करना होगा। इस पद्धति से, करदाताओं और साथ ही कर प्रशासन की दृष्टि से, प्रचुर सरलीकरण होगा, क्योंकि प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत फर्मों के पंजीकरण, भागीदारों के कर-निर्धारणों के सुधारों, जबकि फर्मों के कर-निर्धारणों को संशोधित किया जाए, आदि से सम्बन्धित प्रक्रिया से जुड़ी जटिलतायें समाप्त हो जाएंगी।

66. पिछले वर्ष मैंने बैंकों के पास सावधि जमाओं पर ब्याज और कमीशन अदायगियों के सम्बन्ध में स्रोत पर कर कटौती से सम्बन्धित प्रावधान लागू किये थे। किन्तु इन प्रावधानों के कार्यान्वयन के बारे में करदाताओं ने काफी आलोचना हुई हैं। मुझे अनेक संसद सदस्यों से भी इन प्रावधानों को वापस लेने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। स्रोत पर कर-कटौती की पद्धति बहुत से देशों में कर अनुपालन लागू करने की एक मान्य पद्धति तथा उपयोगी साधन है। तथापि, एक व्यक्ति वित्त मन्त्री को संसद के माननीय सदस्यों की राय के प्रति संवेदनशील होना चाहिये, चाहे वे अपनी धारणाओं से भिन्न मत रखते हों। इसलिए, मेरा प्रस्ताव इन दोनों प्रावधानों को वापस लेने का है।

67. सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 में बहुत अधिक छूटें विद्यमान हैं, जिनकी वजह से इनका प्रशासन काफी जटिल हो जाता है। कतिपय परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, जैसे कि शेयरों के मूल्यांकन की, भी समस्यायें हैं, क्योंकि सट्टेबाजी की गतिविधियों के कारण अत्यन्त ऊंची बाजार कीमतों की वजह से शेयरधारकों पर, जो दीर्घावधिक निवेशकर्ता हैं, भारी बोझ पड़ सकता है। इस समय उत्पादक और अनुत्पादक परिसम्पत्तियों के बीच भी कोई भेद नहीं है। चेलेय्या समिति ने सुझाव दिया है कि करदाताओं को उत्पादक परिसम्पत्तियों में, जैसे कि शेयर, प्रतिभूतियां, बांड, बैंक जमाओं आदि से निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करने और साथ ही पारस्परिक निधियों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन वित्तीय परिसम्पत्तियों को सम्पत्ति कर से छूट दी जानी चाहिए। व्यष्टियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों और सभी कम्पनियों पर केवल अनुत्पादक परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में, जैसे कि रिहायशी मकान जिनमें फार्म हाऊस और शहरी भूमि सम्मिलित है, जेवरात, सोना-चांदी, मोटर-कारों, वायुयानों, नौकाओं और लघु बजरों के सम्बन्ध में ही, जिनका उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, पर सम्पत्ति कर लगाया जाना चाहिये। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि 15 लाख रुपये की बुनियादी छूट के साथ ऐसा कर 1 प्रतिशत की दर पर लगाया जाना चाहिये। मेरा प्रस्ताव इस सिफारिश को स्वीकार करने का है और मुझे उम्मीद है कि इस परिवर्तन से उत्पादक परिसम्पत्तियों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और अनुत्पादक आडम्बरपूर्ण सम्पदा में निवेश हतोत्साहित होगा।

68. पहले अपने भाषण में मैंने यह उल्लेख किया है कि सरकार पूंजी बाजार और पारस्परिक निधियों की विशेष भूमिका को, जिनमें निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियां शामिल हैं, को कितना महत्व प्रदान करती है। कर सम्बन्धी मामलों में सभी पारस्परिक निधियों को एक समान समझने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड द्वारा मान्य सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही में पारस्परिक निधियों को आयकर से छूट देने का है। मैंने भारतीय कम्पनियों को, विदेश में निवेशकों को परिवर्तनीय बांड और इक्विटी जारी करने की अनुमति देने की स्कीम का भी उल्लेख किया था। मेरा प्रस्ताव इन निर्गमों से पूंजीगत लाभ और आय पर 10 प्रतिशत की रियायती दर पर कर लगाने

का है, जो दर अपतटीय पारस्परिक निधियों पर लागू है। आशा है कि इन उपायों से देश में पूंजी बाजार को एक नई दिशा मिलेगी।

69. पिछले वर्ष मैंने वातानुकूलित रेस्तराओं पर भी व्यय कर लागू किया था, ताकि अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा सकें। मुझे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस प्रावधान का ऐसे असंख्य रेस्तराओं और छोटे स्थापनाओं पर भारी प्रभाव पड़ा है, जिनको मुख्यतः मध्यम वर्ग द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह सुझाया गया है कि रेस्तराओं में वातानुकूलन, गृहों के विपरीत, अब समृद्धों की विलासिता का विषय नहीं रहा है। बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें बम्बई से प्राप्त हुई है। मैंने बम्बई में ढाई साल बिताई हैं। इस महान शहर के नागरिकों के प्रति मेरे दिल में एक विशेष स्थान है। हाल ही के नगर-निगम चुनावों में उनके मतदान के रवैये से यह बात और भी पुष्ट हो गयी है। उनके प्रति मेरा एक विशेष दायित्व बन जाता है। मेरा प्रस्ताव इस शुल्क को, जहां तक रेस्तराओं का सम्बन्ध है, वापस लेने का है। यह एक प्रामाणिक बात हो जानी चाहिये कि कांग्रेस (आई) को वोट देना राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से अच्छा है। तथापि, मैंने होटल प्राप्तियों से सम्बन्धित व्यय कर के क्षेत्र के कुछ परिवर्तन किए है। मेरा प्रस्ताव होटल के कक्ष प्रभार से सम्बन्धित देयता के लिए पात्रता की सीमा को इस समय 400 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिदिन करने का है। हाल ही में विदेशी मुद्रा दर में किए गए समायोजनों को देखते हुए विदेशी मुद्रा में किये गये व्यय को कर से मुक्त करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, मैं इस छूट को वापस ले रहा हूं। यह बात सभी मालूम होनी चाहिये कि कांग्रेस (ई) को वोट देना अच्छी राजनीति और अच्छी अर्थव्यवस्था है।

70. सहकारी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव सभी सहकारी समितियों को, जिनमें लैंकिंग के कारोबार में लगी शहरी सहकारी समितियां शामिल हैं, आयकर अधिनियम के क्षेत्राधिकार से छूट देने का है।

71. मैं निगमित कर प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को महसूस करता हूं। यह भी एक ऐसा क्षेत्र जहां कर-निर्धारण की दरों को कम करने की आवश्यकता है और मैं इसे जितनी जल्दी संभव हो कम करने की शुरूआत करने पर ध्यान देना चाहूंगा। मुझे आशा है कि जब मैं वर्ष 1993-94 का बजट प्रस्तुत करूंगा तो विरोधी दल इस वक्तव्य को बजट गोपनीयता का लीक करने के लिए मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव नहीं लायेंगे। तथापि, निर्गमित कर-निर्धारण पर चेलेय्या समिति की विस्तृत सिफारिशें अभी प्राप्त होनी है इसलिए इसकी सिफारिश प्राप्त होने तक मेरा इस क्षेत्र में प्रमुख पुनर्गठन स्थापित रखने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्तमान दर संरचना और अधिभार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बजट में मेरा प्रस्ताव दो परिवर्तन करने का है। सामान्यतया, पूर्ववर्ती वर्षों से आगे लाया गया मूल्यह्रास और निवेश भत्ते को वर्तमान आय में से निकाल दिया जाता है। पिछले वर्ष लागू किए गए मूल्यह्रास भत्ते के युक्तिकरण के अनुरूप मेरा प्रस्ताव कर निर्धारण वर्ष 1992-93 के संबंध में उन कम्पनियों के मामले में जहां ऐसी राशि 1,00,000 रुपए से अधिक है, आगे ले जाने वाले मूल्य-ह्रास और निवेश भत्ते के लिये मुजराई की मात्रा को ऐसी राशि की दो-तिहाई तक सीमित रखने का है और शेष एक-तिहाई राशि के समायोजन की अनुमति निर्धारण वर्ष 1993-94 में होगी। इसके अतिरिक्त, इस व्यापक आलोचना को ध्यान में रखते हुए कि कुछ व्यापारिक खर्चों के सम्बन्ध में सीमायें कृत्रिम हैं, मैं चेलेय्या समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ मदों को उदार बना रहा हूं।

72. हमारे कर कानूनों में जटिलताओं के सम्बन्ध में मुझे ऐसे कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि

जब कभी भी अभीष्ट लेनदेनों के सम्बन्ध में करदेयता के बारे में किसी करदाता को कोई सन्देह हो तो सरकार को अग्रिम निर्णय देना चाहिये। यह प्रथा बहुत से देशों में प्रचलित है। ऐसे सुझाव को कार्यान्वित करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां है। फिर भी अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने और बेहतर करदाता सम्बन्ध प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, भारतीय मूल के अनिवासियों से सम्बन्धित कारोबार के बारे में अग्रिम निर्णय देने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है और इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। बाद में, प्राप्त होने वाले अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। सरकार एक राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय स्थापित करने की भी योजना तैयार कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्यक्ष कर मामलों में मुकदमों का शीघ्र निपटान हो सके। इसके साथ-साथ सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता के सम्बन्ध में यथाशीघ्र एक विधेयक भी पेश करना चाहेगी जिसमें सभी तीनों प्रत्यक्ष करों को समेकित किया जाएगा, जिससे कि कानून को आसानी से समझा जा सके और कर प्रशासन सरल बन सके।

73. प्रत्यक्ष कर कानूनों में अन्य छोटे परिवर्तनों के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव सदन का और अधिक समय लेने का नहीं है।

74. प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों से 795 करोड़ रुपये का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है। इस राशि में से 435 करोड़ रुपये राज्यों को प्राप्त होंगे।

75. मैं अब अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित प्रस्तावों की ओर आता हूं।

76 हमारे उद्योग और व्यापार नीति के विशेषज्ञों की लम्बे अरसे से यह शिकायत रही है कि हमारी सीमा शुल्क की दरें काफी अधिक और हमारे प्रतियोगी देशों की प्रवृत्तियों से काफी हटकर है, जिन सभी ने टैरिफों को बहुत साधारण स्तर तक कम कर दिया है। मेरे सहयोगी, माननीय वाणिज्य मन्त्री ने मुझसे बार-बार कहा है कि हम विश्व बाजारों में इन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आशा नहीं कर सकते अगर हम उच्च टैरिफ दरों को बनाये रखें, जिनका प्रभाव उच्च लागत वाले औद्योगिक ढांचे के सृजन में होना है। यह उन्हीं मार्गनिर्देशों के अनुसार है, जैसा कि पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था। चेलैय्या समिति, जिसे सीमाशुल्कों के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिये कहा गया था, ने टैरिफ के सामान्य स्तर में कमी करने, टैरिफ दरों के विस्तारण में कटौती करने और कई अन्त्य-प्रयोग छूट और रियायतें समाप्त करके प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है। समिति ने यह भी सही सुझाव दिया है कि सुधार की प्रक्रिया धीरे-धीरे होनी चाहिये ताकि राजस्व की सम्भावित हानि और उस गति जिसपर घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा करनी होगी, दोनों रूप में समायोजन के प्रभाव को संयत किया जा सके। मैं सीमाशुल्क ढांचे में सुधार करके इस बजट से एक पर्याप्त शुरुआत करते हुए इन सिफारिशों पर अमल करने का प्रस्ताव करता हूं।

77. पिछले वर्ष मैंने सीमा-शुल्क की मूल्यानुसार मूल और आनुषंगिक दरों को अधिकतम 150 प्रतिशत तक करके आयात शुल्कों में कमी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। मैं अब आयात शुल्कों की मूल और आनुषंगिक दरों (विशिष्ट दरों सहित) को अधिकतम 110 प्रतिशत तक कम करके शीर्ष टैरिफ स्तर को और कम करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें यात्री साज-सामान और मद्यसारिक पेय पदार्थ इसके अपवाद होंगे। इस प्रस्ताव से 1700 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

78. मेरा अगला प्रस्ताव पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क से सम्बन्धित है। परियोजना आपातों सहित पूंजीगत वस्तुओं पर सामान्य शुल्क वर्तमान में 80 प्रतिशत हैं जो 110 प्रतिशत की शीर्ष दर से

कम हैं। तथापि, पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क घटाने को प्राथमिकता देने का अच्छा मामला है क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं पर उच्च शुल्क से इकाई की पूरी अवधि के दौरान उत्पादन लागत में स्थाई वृद्धि हो जाती है। निर्यातोन्मुख उद्योगों में नये निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए हमें तीव्र गति से पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क दर में कमी करनी चाहिए। इसलिए मैं परियोजना आयातों और सामान्य मशीनों पर शुल्क दर को 90 प्रतिशत से कम करके 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिए परियोजना आयातों सहित पूंजीगत वस्तुओं के मामले में, मैं आयात शुल्क को 60 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। कोयला खनन और कच्चे पेट्रोलियम परिशोधन की परियोजनाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में, मैं 30 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करते हुए आयात शुल्क में और भी अधिक कमी करने का प्रस्ताव करता हूं। विद्युत परियोजनाओ के सम्बन्ध में, 30 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत की वर्तमान रियायती शुल्क दर को 30 प्रतिशत की एक समान दर पर युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। मैं अन्य पूंजीगत वस्तुओं, जिनपर वर्तमान में 80 प्रतिशत से अधिक शुल्क लागत है, पर आयात शुल्क 10 प्रतिशतांक तक कम करने का प्रस्ताव करता हूं। विशिष्ट मशीनों के घटकों को शुल्क दरों में उपलब्ध विद्यमान रियायत, जिससे वे इन मदो को मशीनों पर लागू दरों से कम दरों पर आयात कर सकते है, को जारी रखने का प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों से भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर, विशेषत: पिछले वर्ष लागू किए गए विनिमय दर समायोजन को ध्यान में रखते हुए प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप लगभग 840 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

79 टैरिफ शीर्ष दर में कटौती को देखते हुए, मैं इस अवसर पर रियायती शुल्क आयातों के लिए कुछ अन्त्य-प्रयोग अधिसूचनाओं को भी समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। युक्तिसंगत बनाने की इस प्रक्रिया में कुछ शुल्कों में सीमांतिक वृद्धि हो सकती है। तथापि, शुल्क दरों में समग्र कटौती को देखते हुए, उद्योग को ऐसी सीमांतिक वृद्धियों को बर्दाश्त करने योग्य होना चाहिए।

80. पिछले बजट में मैंने सीमा शुल्क की अनुषंगिक दरों को युक्तिसंगत बनाने का कुछ प्रस्ताव रखा था। मैं शुल्क खण्डों की संख्या चार तक कम करके आनुषंगिक शुल्क ढांचे को और युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। इस मद में 125 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान है।

81. कृषि एक ऐसा मूल आधार है, जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर करता है और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निविष्टियों पर हमेशा प्राथमिकतापूर्ण कर प्रणाली लागू की गई है। इस सिद्धान्त के अनुरूप, मैं 15 निर्दिष्ट कीटनाशकों पर शुल्क दर को, विद्यमान 110 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक, उन्हें इस छूट के लिए पात्र कीटनाशकों की सूची में शामिल करते हुए, कम करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं दो कीटनाशक मध्यवर्तियों पर आयात शुल्क को विद्यमान 120 प्रतिशत के स्तर से कम करके 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसी प्रकार मैं तीन विनिर्दिष्ट कीटनाशक मध्यवर्तियों को उत्पाद शुल्क से पूर्णत: छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं। इन प्रस्तावों से लगभग 8 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

82. सफल कृषि विकास के लिये नए बीजों, जो उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, का प्रयोग करने की आवश्यकता है तथा आयातित बीज और पौध-रोपण सामग्रियां इस प्रक्रिया में सहायक बन सकती हैं। इसलिए, मैं तिलहनों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों के बीजों, फूलों के कन्दों और बल्बों बुआई

और पौध रोपण के प्रयोजनार्थ फूल के पौधों की कलम अथवा पौध, फलों के पौधों और दालों के बीज को आयात शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। सक्षम पौध-रोपण सुनिश्चित करने के लिए, मैं चावल प्रतिरोपकों पर से आयात शुल्क 80 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

83. पैट्रो-रसायन उद्योग के कुछ मूल सम्भरक भण्डार जो उद्योग का आधार है, उच्च शुल्क दरों से प्रभावित है। इस क्षेत्र में शुल्क में कटौती करने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं, प्रापिलीन पर आयात-शुल्क 120 प्रतिशत से कम करके 80 प्रतिशत, बूटाडीन पर 55 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत, और बेन्जीन पर 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं ईथाइल बेन्जीन और स्टीरीन पर, जो पोलीस्टीरीन के विनिर्माण की अनिवार्य निविष्टयां हैं, 40 प्रतिशत के एक समान आयात-शुल्क का भी प्रस्ताव करता हूं। इसी प्रकार, मैं कुछ निर्दिष्ट सम्भरक भण्डारों पर, जिनका प्रयोग पालीथीलिन्स के विनिर्माण में होता है, आयात-शुल्क 120 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इन प्रस्तावों से लगभग 26 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

84. एस्बेस्टस सीमेंट उद्योग, जो आवास, जलपूर्ति और सिंचाई क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, को राहत देने के उपाय के रूप में, मैं एस्बेस्टस फाइबर पर आयात-शुल्क घटाकर 90 प्रतिशत से 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से 18 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

85. फिल्में, हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कड़ी बना गई हैं। इसलिये, मुझे इस महत्वपूर्ण उद्योग की आर्थिक स्थिति के बारे में चिंता है। फिल्म उद्योग, जिसे केबल टी.वी. और वीडियो से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मैं सिनेमाटोग्राफ फिल्म के असंसाधित रंगीन नेगेटिवों पर आयात शुल्क को विद्यमान स्तर से 20 प्रतिशतांक तक कम करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से 8 करोड़ रुपये की राजस्व-हानि होगी।

86. मैं, फ्लाई एश और फास्फोजिप्सम ईंटों तथा इमारती संघटकों के विनिर्माण के लिए आवश्यक मशीनों की विनिर्दिष्ट मदों पर आयात-शुल्क कम करने का प्रस्ताव करता हूं। यह पश्चिम बंगाल न कि विश्व बैंक के लिये एक रियायत होगी।

87. पिछले वर्ष समाचार-पत्र उद्योग की राहत के रूप में मैंने मानक अखबारी कागज को सीमा शुल्क से पूरी छूट दे दी थी। विपक्ष द्वारा कड़ी आलोचना करने पर, मैं महसूस करता हूं कि प्रेस में मेरे समर्थन से कुछ और मजबूती आयेगी। मैं अब चिकने (ग्लेज्ड अखबारी कागज, जिस पर इस समय 550 रुपये प्रति मी० टन की दर लागू है, शुल्क अदायगी से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से लगभग 3 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

88. मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं कि भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित भारतीयों द्वारा अपने साज-सामान के भाग के रूप में सोने के आयात की अब अनुमति होगी। प्रत्येक यात्री को अब 5 किलोग्राम तक सोना लाने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे सोने पर आयात-शुल्क प्रति 10 ग्राम 450 रु० होगा, जो मूल्यानुसार रूप में लगभग 15 प्रतिशत बैठता है। यह शुल्क परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में देय होगा। मुझे विश्वास है कि इस धातु के देश में अब तक तस्करी के लाभप्रद व्यापार में संलग्न व्यक्तियों को छोड़कर, इस कदम का सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जायेगा।

89. इस बजट में सीमा-शुल्क को पुनर्गठित करने के लिए किया जा रहा प्रयास ऐसी प्रक्रिया की एक शुरूआत है, जिसमे तीन से लेकर चार वर्षों की अवधि में हमारे सीमा-शुल्कों में अन्य विकास-शील देशों के तुलनीय स्तर तक क्रमिक रूप से कमी हो जायेगी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उन्हें इस बात से भय करने की आवश्यकता नहीं है कि शुल्कों में कमी करने से भारत का विऔद्योगिकीकरण हो जायेगा। इसके विपरीत, यह कटौती भारतीय उद्योग को एक ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जिसमें वह विश्व अर्थ-व्यवस्था के साथ और अधिक एकीकरण तथा प्रौद्योगिकी अपनाकर अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकता है। अगर हमें वास्तव में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो यह अनिवार्य है। हम भारतीय उद्योग की प्रतियोगी क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रभावी उपाय करेंगे। सीमा-शुल्क में अन्य परिवर्तनों साथ सीमा-शुल्क के प्रस्तावित पुनर्गठन से 2,023.35 करोड़ रुपये की निवल हानि होगी। यह हानि परम्परागत तरीके से अनुमानित है और यह सम्भव है कि इसके अधिमूल्यांकन की सम्भावना हो सकती है अगर हम अधिक मात्रा में आयात की अनुमति देकर भुगतान संतुलन में पर्याप्त सुधार की अनुमति दें और इस प्रकार सीमा-शुल्क राजस्व का उच्चतर स्तर प्राप्त करें।

90. उत्पाद-शुल्कों के क्षेत्र में, मैं जहां भी आवश्यक हो राहत प्रदान करते हुए और निस्संदेह सीमा-शुल्कों को पुनर्गठित करने से होने वाली राजस्व हानि को प्रतिसंतुलित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाकर उत्पाद-शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य द्वारा मार्ग निर्देशित हुआ हूं।

91. वर्ष 1991-92 का बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को सरल और युक्तिसंगत बनाने के अपने आशय का उल्लेख किया था ताकि इस प्रणाली में होने वाले विलम्बों को दूर किया जा सके और कर संग्रहकर्ता तथा करदाता के बीच परस्पर क्रिया को न्यूनतम किया जा सके। मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग नियन्त्रणों, उत्पादन और विनिर्माण को समाप्त करके इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रस्ताव करता हूं। निर्धारितियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास केवल अपना पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, निर्धारितियों को प्रत्येक पांच वर्ष पर अपने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंसों का नवीकरण कराना होता है। पंजीकरण तब तक वैध रहेगा जब तक निर्धारिती विनिर्माण क्रियाकलाप जारी रखता है। मैं इस प्रयोजन के लिए कानून में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव कर रहा हूं।

92. माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन सन् 1976 में एक समझौता आयोग स्थापित किया गया था। उसी आधार पर, विभाग और निर्धारिती के बीच सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी विवादों से निपटने के लिए मैं एक समझौता आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह कर सम्बन्धी विवादों को शीघ्रता से निपटाने में सहायक होगा।

93 माननीय सदस्यों को यह भी स्मरण होगा कि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों के निर्धारण और संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अनुसरण में मूल्यांकन से सम्बन्धित विवादों के अधिनिर्णय के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने के लिए 1986 में एक कानून बनाया गया था। अपरिहार्य कारणों से, इस न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं हो सकी। मैं सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क राजस्व अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1986 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए विधान पेश करने और न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

94. आदानीय क्षेत्र सामाजिक रूप से और रोजगार के अवसर पैदा करने, दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसलिये इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं 25 प्रतिशत लाल मिट्टी, जो अल्युमीनियम उद्योग का एक अपशिष्ट उत्पाद है, वाली ईंटों और टाइलों को न्यूनतम उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं हल्के वजन वाले कंक्रीट इमारती ब्लाकों को भी उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं पूर्व-संचरित इमारतों पर उत्पाद शुल्क को 15 प्रतिशत घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं प्लास्टिक, लोहे और इस्पात से बने दरवाजों और खिड़कियों को पूरी तरह छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं जिनसे प्रसंगवश हमारी नष्ट होती हुई वन सम्पदा को संरक्षण प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त मैं पैनल दरवाजों, जिनपर वर्तमान में 30 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क लगता है, को पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। जिनके बारे में माननीय सदस्यों से मुझे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। इस प्रस्ताव से लगभग 4 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

95. ग्लास कन्टेनर उद्योग मन्दी के दौर से गुजर रहा है। मैं ग्लास कन्टेनरों पर उत्पाद शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। अर्द्ध-स्वचालित प्रक्रिया और माउथ ब्लोन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित ग्लास कन्टेनरों पर भी उत्पाद शुल्क विद्यमान 30 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के स्तर से घटाकर क्रमशः 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया जायगा। इन प्रस्तावों से 30 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

96. वर्तमान में वस्त्रोद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के बीच शुल्क दरों में व्यापक भिन्नता है। इस क्षेत्र में मेरा प्राथमिक उद्देश्य टैरिफ ढांचे को सरलीकृत करना और युक्तिसंगत बनाना तथा विभिन्न वस्त्र रेशों और यार्न के बीच शुल्क सम्बन्धी भिन्नताओं को कम करना है।

97. मैं सूती धागे, सेल्यूलोस स्पन यार्न और पोलिएस्टर मिश्रित यार्न पर उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाने और उसे पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सूती धागे पर दरों की बहुलता को कम करके उसे केवल पांच शुल्क खण्डों में अपनाने का प्रस्ताव करता हूं। सेल्यूलोसिक स्पन यार्न पर उत्पाद शुल्क को भी इसी प्रकार केवल तीन खण्ड बनाकर युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

98. मैं विस्कोस रेशे पर-मूल उत्पाद शुल्क को 10.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम, विस्कोस फिलामेंट यार्न पर 12 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम और एक्रीलिक फाइबर पर 9.24 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम करने का भी प्रस्ताव करता हूं। पालिएस्टर मिश्रित यार्न पर शुल्क दरों को भी युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

99. मोटे (शोडी) ऊन के उद्योग के लिए चिथड़े और सिंथेटिक अपशिष्ट दोनों कच्ची सामग्रियां हैं। मैं दोनों पर आयात शुल्क को बराबर करके 110 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

100. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जिसकी प्राप्तियां राज्यों को जाती है, से राजस्व जुटाने की दृष्टि से मैं शुल्क खण्डों को पुनर्गठित करके संसाधित सूती फेब्रिकों पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

101. नायलोन और पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न उद्योग में बहुत-सी इकाइयां कठिनाई के दौर से गुजर रही हैं। राहत के एक उपाय के रूप में, मैं नायलोन फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 63 रुपये से घटाकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम तथा के प्रोलेक्टम पर आयात शुल्क को भी 80 प्रतिशत से कम

करके 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क को भी 70 रुपये से घटाकर 62 रुपये प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूं।

102. हथकरघा क्षेत्र द्वारा पटसन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, मैं लच्छे वाले पटसन यार्न को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इसी प्रकार, पंजीकृत सहकारी समितियों महिला सहकारी समितियों आदि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्मित किए जाने वाले पटसन उत्पादों को भी उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव है।

103. रेशम उद्योग को राहत देने के एक उपाय के रूप में, मैं कच्चे रेशम पर आयात शुल्क को 55 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

104. वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित प्रस्तावों के पैकेज में लगभग 25 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

105. अब मैं युक्तिकरण और अतिरिक्त राजस्व जुटाने से सम्बन्धित प्रस्तावों का जिक्र करूंगा।

106. इस समय, उत्पाद शुल्क कुछ वस्तुओं पर मूल्यानुसार तथा अन्य कई वस्तुओं पर विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। पिछले कई वर्षों में, प्रशासनिक कारणों से, मूल्यानुसार शुल्कों को धीरे-धीरे विनिर्दिष्ट दरों अथवा मूल्यानुसार-एवं-विनिर्दिष्ट दरों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। विनिर्दिष्ट दरों की तुलना में मूल्यानुसार दरों को तरजीह दी जानी चाहिए क्योंकि मूल्यों में वृद्धि होने के कारण इनसे राजस्व में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित होती है तथा चेलय्या समिति ने बहुत सी वस्तुओं के सम्बन्ध में मूल्यानुसार दरों को अपनाने की सिफारिश की है। इसने यह सिफारिश की है कि जिन मामलों में निर्दिष्ट दरों को लागू रखा जाना है, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए उन दरों को प्रत्येक वर्ष संशोधित किया जाना चाहिए। जहां भी सम्भव है, उन वस्तुओं के सम्बन्ध में मूल्यानुसार शुल्क प्रणाली को अपनाकर मैं साधारण सी शुरुआत करने का प्रस्ताव करता हूं।

107. मुख्य अलौह धातुओं अर्थात ताम्बा, सीसा, जस्ता तथा उनके सम्बन्ध में, मैं मौजूदा विनिर्दिष्ट शुल्क दरों के स्थान पर 10 प्रतिशत की एक समान मूल्यानुसार शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। जहां तक लोहे और इस्पात का सम्बन्ध है, इनके प्राथमिक और अर्ध-परिष्कृत स्वरूपों पर सामान्यत: विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगता है। कुछ प्रशासनिक कारणों से, मैं सिल्लियों, सलाखों, छड़ों आदि जैसे कतिपय वेल्लित उत्पादों जो स्टेनलैस स्टील से तैयार नहीं होते, जैसी मदों पर उत्पाद शुल्क की विनिर्दिष्ट दरों को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। इन उत्पादों के सम्बन्ध में, मैं विद्यमान दरों, जो वर्तमान में 300 रुपए से लेकर 1,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन के बीच है, को बढ़ाकर 400 रुपए से लेकर 2,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन के बीच करने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, मैं लोहे की गढ़ी वस्तुओं और अन्य इस्पात उत्पादों के सम्बन्ध में 10 प्रतिशत का एक समान उत्पाद शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। इन प्रस्तावों से लगभग 400 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

108. पिछले वर्ष, मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि प्रत्येक वित्त मन्त्री को धूम्रपान, जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, पर रोक लगाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी यह हानि अभी भी जारी है तथा यदि इस उपयोगी काम के लिए राजकोषीय साधन का प्रयोग करने का मैं एक और प्रयास न करूं तो अपने कर्त्तव्य पालन में यह मेरी असफलता रहेगी। यद्यपि 60 मिलीमीटर से

कम आकार की बिना फिल्टर वाली सिगरेटों पर शुल्क में वृद्धि करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन अन्य सभी सिगरेटों पर उनके आकार के आधार पर शुल्क दरें 30 से लेकर 100 रुपए प्रति हजार तक बढ़ाई जा रही है। इन प्रस्तावों से 325 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

109. मैं, पोलीस्ट्रीन, कम घनत्व वाली पोलीथिलीन, उच्च घनत्व वाली पोलीथिलीन तथा पोलीप्रोपिलीन जैसी कतिपय प्लास्टिक रेसिनों पर उत्पाद शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से 165 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

110. घड़ियों पर 5 प्रतिशत की बहुत कम दर से शुल्क लगाया जाता है जोकि सामान्य शुल्क प्रणाली से हट कर है। मैं इस दर को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से 12 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

111. मैं सीमेंट पर उत्पाद शुल्क को 215 रुपए से बढ़ाकर 290 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूं। लघु सीमेंट संयंत्रों में तैयार किए गए सीमेंट पर भी उत्पाद शुल्क को 90 रुपए से बढ़ाकर 165 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया जायेगा और इस प्रकार लघु सीमेंट संयंत्रों के पक्ष में 125 रुपये प्रति मीट्रिक टन के मौजूदा शुल्क अन्तर को बनाए रखा गया है। तथापि, मैं सफेद सीमेंट पर शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि इसके भार को साधारण सीमेंट के बराबर ही रखा जा सके। इन प्रस्तावों से 376 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होने का अनुमान है।

112. मैं रंगरोगन पर उत्पाद शुल्क की दरों को 15 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर क्रमशः 20 प्रतिशत और 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से 35 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी।

113. मैं अर्गनिक सरफेस सक्रिय कारकों पर उत्पाद शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से 50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

114. इस समय मोटर साइकिल और स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों पर इंजन क्षमता के अनुसार 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगता है। मैं 75 सी० सी० तक की इंजन क्षमता वाले सभी दोपहियों पर 15 प्रतिशत की दर से तथा 75 सी० सी० से अधिक इंजन क्षमता वाले अन्य दोपहियों पर 25 प्रतिशत की दर से एक समान शुल्क लगाकर शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इन प्रस्तावों से 80 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

115. मैं कोको तथा कोको से बनी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से 24 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

116. मैं तारों और केबलों पर उत्पाद शुल्क में वर्तमान स्तर से पांच प्रतिशतांक की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से 60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है।

117. मैं टायरों, ट्यूबों तथा फ्लैपों के उत्पाद शुल्क की मौजूदा विनिर्दिष्ट दरों में बढ़ोतरी करने

का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, मैं मोपेड टायरों पर शुल्क को मौजूदा 30 रुपए से घटाकर 25 रुपए प्रति टायर करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से 40 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

118. इस समय, मूल उत्पाद शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है, कुछ आवश्यक मद, जैसे चाय, काफी, चीनी, माचिस, किरोसीन तथा वनास्पति को इससे पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त, हाई स्पीड डीजल तेल तथा दोपहियों पर 5 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मैं, उन उत्पादों पर जिन पर इस समय शुल्क के 10% की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि यह वृद्धि पैट्रोलियम उत्पादों पर लागू नहीं होगी। मैं लम्बे समय तक प्रयोग में आने वाली कुछ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कि मोटर कारों और उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिकी वस्तुओं, जैसे टेलीविजन सेटों को इस अतिरिक्त शुल्क से मुक्त करने का भी प्रस्ताव करता हूं क्योंकि ये उद्योग इस समय एक कठिन दौरे से गुजर रहे हैं। इन प्रस्तावों से 1,025 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

मैं मोटरकार क्षेत्र को छूट पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री के अनुरोध पर दे रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसके गलत क्या है ? मुझे खुशी है कि वह पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखे हुए हैं क्योंकि केवल यही राज्य समझदार है।

119. श्री मनमोहन सिंह : पिछले वर्ष व्यापार नीति में लागू किए गए परिवर्तनों से विनिर्माण के उच्च स्तरों पर निर्यात के लिए विभेदक प्रोत्साहन समाप्त हो गए हैं। यद्यपि प्रोत्साहन की किसी एक समान पद्धति को सामान्यतः प्राथमिकता दी जानी चाहिए लेकिन कुछ प्राथमिक उत्पादों के निर्यात के संबंध में कुछ हतोत्साहन का मामला भी बनता है क्योंकि इन उत्पादों को मूल्यवर्धित रूप में निर्यात किया जा सकता है। मैं परिष्कृत चमड़े की कुछ किस्मों तथा पालिश न किए गए ग्रेनाइट के निर्यात 10 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं जिससे कि निर्यातक चमड़ा उत्पादों तथा पालिश किए गए ग्रेनाइट की तरफ आकर्षित हों। मैं लौह-अयस्क पर भी 5 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगा रहा हूं। प्रस्तावों से 142 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है।

120. उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क टैरिफ में परिवर्तन करने के लिए मैंने वित्त विधेयक में कई संशोधनों का प्रस्ताव किया है। ये संशोधन सामान्यतः समर्थनकारी उपबन्ध हैं तथा राजस्व की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त, कुछ मौजूदा अधिसूचनाओं में संशोधन करने के भी प्रस्ताव हैं। सदन का समय बचाने की दृष्टि से मेरा उनके सम्बन्ध में उल्लेख करने का प्रस्ताव नहीं है।

121. उत्पाद शुल्क में उपरिलिखित परिवर्तनों संबंधी प्रस्तावों से 2,515.70 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। घोषित की गई रियायतों और राहतों सम्बन्धी कुल राशि 304.80 करोड़ रुपए बैठती है। उत्पाद शुल्क से 2,210.90 करोड़ रुपए के प्राप्त विभाजन योग्य निवल अतिरिक्त में से केन्द्र का हिस्सा 1,146.53 करोड़ रुपए तथा राज्यों का हिस्सा 1,064.37 करोड़ रुपए होगा।

122. सीमाशुल्कों और उत्पाद शुल्कों, दोनों को मिलाकर मेरे प्रस्तावों के फलस्वरूप निवल प्राप्ति के रूप में अप्रत्यक्ष करों से केवल 187.55 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाई जा सकेगी। चूंकि सीमाशुल्कों में हानि होने पर यह पूर्णतः केन्द्र को ही उठानी पड़ती है जब कि उत्पाद शुल्क संबंधी राजस्व लाभ को राज्यों के साथ बांटा जाता है, इस प्रकार केन्द्र के राजस्व में 876.82 करोड़ रुपए की हानि होगी जबकि राज्यों को 1,064.37 करोड़ रुपए तक का लाभ होगा।

123. पहली मार्च, 1992 से प्रभावी होने वाले सीमाशुल्कों और उत्पाद शुल्कों की दरों में परिवर्तनों से संबंधित अधिसूचनाओं की प्रतियां यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

124. मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में जो प्रस्ताव किए हैं, उन दोनों प्रकार के करों को हिसाब में लेने के बाद केन्द्र को 517 करोड़ रुपए की निवल राजस्व हानि होने का अनुमान है जबकि राज्यों को 1,500 करोड़ रुपए का लाभ होगा। परिणामस्वरूप, 1992-93 में केन्द्र का वर्ष का बजटीय घाटा 5,389 करोड़ रुपए तथा उस वर्ष का राजकोषीय घाटा 34,408 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

125. हमारा राष्ट्र सदा जवाहरलाल नेहरू का उनकी इस दूरदर्शिता और दृढ़ आग्रह के लिए कृतज्ञ रहेगा कि भारत का सामाजिक और आर्थिक रूपान्तरण एक खुले समाज के ढांचे में करना होगा जो संसदीय प्रजातंत्र और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध हो। विकासशील विश्व के भविष्य के लिए भारत का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अपनी विकास संभावना को समझने के लिए हमें सृजनात्मकता, आदर्शवाद, साहस और ऐसे उद्यम की मानवीय भावना को झकझोरना है, जो हमारे लोगों में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। एक द्वितीय औद्योगिक क्रांति तथा एक दूसरी कृषि क्रांति के लिए हमें अपने सभी अन्तर्निहित संसाधनों का दोहन करना है। हमारी अर्थ व्यवस्था, राजतंत्र और समाज को अत्याधारभूत रूप से लचीला और जागरूक बनना होगा, यदि हमें अवसरों का पूरा लाभ उठाना है और आर्थिक प्रक्रियाओं के बढ़ते हुए विश्वव्यापीकरण से जुड़े जोखिमों को कम से कम करना है। यदि हमें विकासशील विश्व अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते हुए सीमांतिकरण से बचना है तो हमें पुनः संरचना और सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा। पिछले आठ महीनों में प्रधानमंत्री, नरसिंह राव के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा किए गए आर्थिक नीति संबंधी परिवर्तन इसी दूरदर्शिता द्वारा प्रेरित है। हमारी पार्टी को राष्ट्रीय सेवा की एक महान परम्परा विरासत में मिली है। इस परम्परा के ही अनुरूप हम सुधार प्रक्रिया के प्रति एक दृढ़ और उद्देश्यपूर्ण दिशा-निर्देश की भावना प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं, ताकि भारत की यह प्राचीन भूमि अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपना सही और गौरवपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त कर सके। यह बजट, इस महान राष्ट्रीय ध्येय की सफलतापूर्वक प्राप्ति, भारत को युद्ध, जरूरत और शोषण के भय से मुक्त बनाने के लिए, भारत के प्रति एक ऐसे अंशदान का द्योतक है जो हमारे गणतंत्र के संस्थापकों के सपनों के लायक हो। हम हर कीमत अदा करेंगे, प्रत्येक बोझ बर्दाश्त करेंगे और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी बलिदान देंगे। भारत पुनः प्रगति के रास्ते पर है। हम भविष्य की प्रतीक्षा करेंगे।

[अनुवाद]

महोदय मैं अपनी मेहनत पूरी कर चुका हूं।

आज रात मैं थियेटर जाना चाहता हूं। अब इस कार्य की आलोचना करने वालों को सूचित कर दें, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूं।

एक कवि ने भी कहा है।

[हिन्दी]

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।

महोदय, मैं यह बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

7.00 म० प०

वित्त विधेयक, 1992*

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री महोदय अब वित्त विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगें।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक, 1992 पुरःस्थापित कर दिया गया है।

मैं माननीय सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं और घोषणा करता हूं कि सभा मंगलवार, 3 मार्च, के 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

7.01 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 3 मार्च, 1992/13 फाल्गुन, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* दिनांक 29-2-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति के सिफारिश से पुरःस्थापित।

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटर्स, 2265 डा० सेन मार्ग।